

—
**In the High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench, Lucknow
O.O.S.No.3 of 1989 (R.S. No.26-59)**

Plaint under Order 7 rule 1 C.P.C.

1. Nirmohi Akhara situate in mohalla Ramghat City Ayodhya though Mahant Jagar Nath Das aged about 54 years chela of Mahant, Mahant and Jarbarahkar, resident of Nirmohi Akhara, Mohalla Ramghat Ayodhya district Faizabad.

substituted vide order dated 23.7.66

sd/-

Substituted vide court order dt.11.7.78

Sd/-

amended vide order dated 8.7.67 Sd./-

2. Vaishnab Das r/o Nirmohi Bazar Ramghat Oudh City Ayodhya District Faizabad added vide court's order dtd. 1.9.95

Versus

1. Shri Jamuna Prasad Singh amended vide the order dt.23.10.89 on
44(O) by this Hon'ble Court Sd./- 28.10.98
2. State of Uttar Pradesh
3. Deputy Commissioner, Faizabad
4. City magistrate, Faizabad
5. Superintendent of Police, Faizabad
- 6/1. Haji Mehboob (adult)
6. died Haji Phekku aged 70 years son of unknown, r/o Mohalla Terhi Bazar.
- 6/2. Haji Abdul Ahed both R/o Mohalla Terhi Bazar of Mohalla Terhi Bazar. City Ayodhya The. & Distt. Faizabad.
7. Mohd. Faiq aged 50 years son of Haji Ramzan r/o Terhi Bazar
Amended under the court order Sd./-20.9.61

8. Mohd. Achhan Mian aged about 55 years son of unknown r/o Mohalla Katra.
9. U.P. Sunni Central Board of Waqfs through its Secretary, Lucknow
Amended vide order dt.23.8.89 this Hon'ble Court Sd./-
(6 to 8) City Ayodhya pargana Haveli Oudh Tahsil and district Faizabad on behalf of themselves and all other members of the Muslim Community.
10. Umesh Chandra Pandey aged 34 years S/o Shri Ram Shanker Pandey S/o rampali Ayodhya City Distt. Faizabd (Haveli Oudh)
11. Mohd. Farook S/o Zahoor Ahamad r/o Singarhat Ayodhya Distt. Faizabad.
Amended by the order of this Hon'ble Court dt. 3.12.91 Sd./- 3.12.91

Suit for removal from management and charge of Temple Janma Bhoomi and delivery of the same.

1. That there exists in Ayodhya, since the days of Yore an ancient Math or Akhara of Ramanandi Varagis called Nirmohis with its seat at Ramghat known as Nirmohi Akhara, the plaintiff no.1, which is a religious establishment of a public character, whereof the plaintiff no.2 is the present head as its Mahant and Sarbrahkar.
2. That Janma Asthan now commonly known as Janma Bhumi, the birth place of Lord Ram Chandra, situate in Ayodhya belongs and has always belonged to the plaintiff no.1 who through its reigning Mahant and Sarbrahkar has ever since been managing it and receiving offerings made there at in form of money, sweets, flowers and fruits and other articles and things.
3. That the said Asthan of Janma Bhumi is of ancient antiquity and has been existing since before the living memory of man and lies within the boundaries shown by letters A.B.C.D. in the sketch map appended hereto within which stands the temple building of Janma Bhumi marked by letters E.F.G.K P N M L E and the

building denoted by letters E F G H I J K L E is the main temple of Janma Bhumi wherein is installed the idol of Lord Ram Chandra with Lakshmanji, Hanumanji and Saligramji.

4. That the said temple has ever since been in the possession of the plaintiff no.1 and none others but Hindus have ever since been allowed to enter or worship therein and offerings made there which have been in form of money, sweets, flowers and fruits and other articles and things have always been received by the plaintiffs through their pujaris.

Para 4A-XI “That before the Judgment of the Writ Petition of 11.12.92 on 6th Dec. 1992 the Temples of Nirmohi Akhara were also demolished by some miscreants who had no religion caste or creed.

Para 4A-XII. “The main temple was demolished on 6th Dec. 1992”.

Para 10 (Last) “and further cause of action against defendants 1 to 5 arises during pendency of the suit when the property and temples of plaintiff was demolished on 6th Dec. 1992 by same miscreants within the Jurisdiction of this Court.”

amended and added to
plaint vide Court’s order
dt. 25.5.95 Sd./- 30.5.95

Para 4A. That Nirmohi Akhara plaintiff is the Panchyati Math of Ram Nandi sect. of Vairagies and as such is a religious denomination following its own religious faith and pursuit according to its own custom prevalent in Vairagies sect of Sadhus. The customs of Akhara Nirmohi have reduced in writing on 19.3.1949 by Reg. deed.

Para 4B That plaintiff Nirmohi Akhara owns several temples in it and manages all of such temples through Panches and Mahant’s of Akhrara. The whole temples and properties vest in Akhara i.e. plaintiff. The plaintiff being a Panchyati Math acts on democratic pattern. The management and right to management of all temples of Akhrara vest absolutely with Panches of Akhara and Mahant

being formal head of Institution is to act on majority opinion of Panches.

Amended and added vide
Court's order dt. 25.5.95
Sd./- 30.5.95

5. That no Mohammadan could or ever did enter in the said temple building. But even if it be attempted to be proved that any Mohammadan ever entered it, which would be totally wrong and is denied by the plaintiffs, no Mohammadan has ever been allowed to enter it or has even attempted to enter it at least ever since the year 1934.

6. That in the year 1950, the City magistrate, Faizabad, the defendant No.4 without any lawful cause and with the active connivance of defendant no.2,3 and 5 and under the wrong persuasion of defendants nos.6 to 8 who claim to represent the Muslim community, attached the main temple shown by letters E F G H I J K L E in the said sketch map with all the articles mentioned in list 'A' appended hereto in a proceeding u/s 145 Cr.P.C. and placed the said temple and the articles under the charge of defendant no.1 as receiver on 5.1.1950.

7. That the plaintiffs have been wrongfully deprived of their management and charge of the said temple and have ever since the said wrongful attachment been waiting for the dropping of the proceedings u/s 145 Cr.P.C. but the same are unduly prolonged and lingered with the connivance of all the defendants and since no immediate termination of the same seems to be in sight and since the defendant no.4 refuses in connivance with other defendants to hand over charge and amendment of the temple to the plaintiffs from the hands of the receiver, the institution of the present suit has become inevitable.

8. That the plaintiffs are entitled that the management and charge of the said temple be delivered to the plaintiff no.1 through the plaintiff no.2 the former's mahant and Sarbarhrahkar.

9. That the defendants 6 to 8 claim to be the representatives of the Muslim Community which has got itself interested in the subject-matter of the suit in not getting the charge and management of the temple delivered to the plaintiffs and are exercising undue influence on the defendants 1 to 5. They are sued in their representative capacity on behalf of the entire Muslim community with the permission of the court.

10. That the cause of action for the suit arose within the jurisdiction of this Hon'ble Court on 5.1.50 on the defendant no.4 illegally taking over the management and charge of the temple with the said articles and entrusting it to the said receiver, the defendant no.1.

11. That the relief claimed by the plaintiffs is incapable of valuation the valuation for the purpose of jurisdiction is fixed at Rs.10,000/- and court fee of Rs.100/- is paid under schedule II Article 17 (6) of the Court fees Act.

12. That the notice of the suit as required by sec.80 C.P.C. has been given to the defendants 1 to 5 which was delivered to them between 6.10.59 and 12.10.59 and which has been replied by them through the defendant no.3 intimating their decision to defend the present suit.

13. That the permission of the court to file the suit against the defendants 6 to 8 on behalf of the themselves and all other members of the Muslim community has been obtained under order 1 rule 8 C.P.C.

1. Wherefore the plaintiffs pray for the following reliefs:-

(a) A decree be passed in favour of the plaintiffs against the defendants for removal of the defendant no.1 from the management and charge of the said temple of Janma Bhoomi and for delivering the same to the plaintiff through its Mahant and Sarbarhrahkar Mahant Jagannath Das. amended vide Hon'ble Court's

order dt. 14.5.90 Sd./-

14.5.90

- (b) Any other relief which the court may deem fit and proper.
- (c) The cost of the suit be awarded to the plaintiffs.

O.O.S. No.3 of 1989
(Regular Suit No.26 of 1959)

Nirmohi Akhara**Plaintiff**

Versus

Babu Priya Dutt Ram (Deceased) and others**Defendants**

Additional Written Statement of Defendant No.9 (U.P. Sunni
Central Board of Wakf).

The Defendant No.9 begs to submit as under:-

1. That the contents of para 4-A of the amended plaint are denied as stated and in reply thereto it is submitted that the Plaintiff is put to strict proof of the averments of the para under reply.
2. That the contents of para 4-B of the amended plaint are also incorrect, hence denied as stated. The averments of the para under reply are even vague and unspecific and the plaintiff is put to strict proof of the same.
3. That the contents of para 4-G XI are also quite vague and ambiguous and hence are denied as stated. In this respect it is submitted that on 6th December, 1992 the so-called Ram chabutra was demolished alongwith the Babri Masjid by the miscreants collected at the instance of Vishwa Hindu Parishad etc.
4. That in reply to para 4-G XII of the amended plaint it is submitted that on 6th December, 1992 the building of the Mosque was demolished and the same could not be called or alleged to be the Main Temple.

5. That the contents of para 10 of the amended plaint are also denied as stated and in reply thereto it is submitted that the averments of the para under reply are quite vague as the plaintiff's suit does not pertain to the so-called Ram Chabutra hence no cause of action can be said to have arisen to the plaintiff during the pendency of the suit on account of the demolition of the said Chabutra.

6. That in reply to the said amended portion of the plaint averments of the written statement of the answering defendant are also reiterated and it is further submitted that amendments made in the plaint are quite vague and ambiguous and the same are liable to be deleted.

**WRITTEN STATEMENT UNDER ORDER VIII RULE I
C.P.C. IN OTHER ORIGINAL SUIT NO.3 OF 1989**

Nirmohi Aakhada etc.Plaintiffs

Versus

Baboo Priya Dutt Ram & othersDefendants

Written Statement of the Defendant Umesh chandra Pandey

1. That the contents of para 1 of the plaint are not admitted. The plaintiff no.2, Mahant Raghu Nath Das, died and there has been no proper substitution in his place.
2. That the contents of para 2 of the plaint are denied. However, it is submitted that the Janma & Asthan is a holy place of worship and belongs to the deity of Bhagwan SHRI RAM LALLA VIRAJMAN there. It never belonged to and could not have belonged to the plaintiff no.1. It is denied that the plaintiff no.1 ever managed it.
3. That the contents of para 3 of the plaint, as written are denied. The holy JANMA ASTHAN OR JANMA BHUMI is actually a very very old temple, whereas the plaintiff AKHADA on the other hand is an institution and owes its existence for no longer than two hundred years. The correctness of the sketch map and the boundaries of the temple with reference to the map are not disputed. The main presiding deity of the temple is BHAGWAN SHRI RAM, although there are several other idols of other deities, termed as RAM DARBAR and are worshiped. Besides, there are other symbols, such as, 'CHARAN', SITA RASOI' etc. through whom the deity of BHAGWAN SHRI RAM therein is worshiped at SHRI RAM JANMA BHUMI, in addition to the ASTHAN OF SHRI RAM JANMA BHUMI, which by itself is a deity and worshiped as such.

4. That the contents of para 4 of the plaint are not admitted. A Hindu Temple is deemed to be possessed and owned by a deity. The principal deity of SHRI RAM JANMA BHUMI is BHAGWAN SHRI RAM. Any offerings must have been received by the Manager of the same from time.
5. That the contents of para 5 of the plaint are not admitted in the form they have been pleaded. Although it is made to appear that in the first war of independence in the year 1857 A.D., the British, to divide the Hindus and Muslims, mala fide acted by dividing the said ASTHAN by creating an inner enclosure and describing the boundary within the inner enclosure as a mosque but no Muslim who was a true Muslim, would appear to have frequented it for offering his prayer as the same is prohibited by the SHARIYAT. Moreover even ALAMGIR (EMPEROR AURANGZED) issued a mandate, known as FATWA-E-ALAMGIRI which clearly prohibits the offering of prayer by Muslim at such places. More so the KASAUTI pillars and the carvings of Gods and Goddesses thereon will clearly show that this place could not be used by a true Muslim for offering his prayers therein. It will also be seen that the place wrongly alleged as mosque virtually stood land-locked by Hindu Temple, wherein there was the worship of the deity going on. Entry to this inner enclosure was also obstructed.

The British tried to set up the descendants of MIR BAQI, a Shiya Muslim, as the MUTWALLI, but he denied the TAULLAT and never looked after the disputed place in any capacity, what to say of looking after as a MUTWALLI thereof.

6. That the contents of para 6 of the plaint are denied. The building was attached and the Receiver appointed by the order dated 29.12.1949 by the court of Additional City Magistrate, Faizabad. In the said proceedings, which was under Section 145 Cr.P.C. (As it then stood), the Muslims also joined. all those Muslim gentlemen, who have been arrayed as defendant Nos.6 to 8 in the suit, have died. The real and legal representatives of the defendant Nos.6 to 8 have not been properly brought on record, in accordance with the provisions of law.

In view of the facts stated hereinabove, the cause of action for the present suit, does not arise. The suit stands abated completely on the death of the last one of the defendants No.6 to 8, which occurred many years ago. The defendant Nos.3,4 and 5 to the suit are the mere posts and offices and are not juristic persons. The suit against them does not lie. So far as the defendant No.2 is concerned, it has not been impleaded in accordance with the provisions of law.

7. That the contents of para 7 of the plaint are not admitted. The plaintiff is not entitled to file the suit which apparently is beyond the period of limitation prescribed therefor in accordance with the provisions of law. The plaintiffs did not join the proceedings under Section 145 Cr.P.C. nor did they file any revision against the order passed by the Additional City Magistrate, in the competent court of law.
8. That the contents of para 8 of the plaint are denied. The plaintiff No.2 died and there is no proper and legal substitution made in the plaint.
9. That the contents of para 9 of the plaint are incorrect and are denied. No Muslim individual came to contest the said case as the representative of the Muslim community. The defendant Nos.6 to 8 were all Sunnis and they could not

represent the Shia community of the Mohammedans. As such, it can not be said that the defendants Nos.6 to 8 could or were representing the Muslim community in general.

10. That the contents of para 10 of the plaint are not admitted. On the own showing of the plaintiffs, the cause of action arose in their favour on 5.1.1950, whereas the suit was filed by them in the year 1959. Thus the suit has been filed beyond the prescribed period of limitation. Further the plaintiffs, being not the Manager or the next friend, of the deity, are not entitled to file the suit.
11. That the contents of para 11 of the plaint are not admitted. The suit has not been valued in accordance with the provisions of law and, therefore, the payment of court fees also is not according to the provisions of law.
12. That the contents of para 12 of the plaint are denied for want of proper knowledge.
13. That the contents of para 13 of the plaint are not admitted. Even if any such permission, as mentioned by the plaintiffs, to sue the defendants No.6 to 8 on behalf of themselves and on behalf of all the members of the Muslim community, has been obtained under Order 1 Rule 8 of C.P.C., then it must be illegal and deserves to be recalled.
14. The plaintiffs are not entitled to the reliefs claimed.

ADDITIONAL PLEAS

15. That the suit, as framed, is bad in the eye of law. The defendants No.3 to 5 are mere posts and offices and are not juristic persons. The defendant No.2 has not been properly impleaded as a party to the suit. As such, the plaintiffs' suit is bad for the misjoinder of parties as also for non-joinder of necessary persons as the parties to the suit.

16. That the plaintiffs' suit is barred by the provisions of Indian Limitation Act, as the same is much beyond the period of limitation prescribed by law.
17. That the plaintiffs had adequate remedies under the provisions of the Code of Criminal Procedure (as it then stood) against the order, Returning Officer passed by the Additional City Magistrate, Faizabad under Section 145 of the Cr.P.C. The plaintiffs, having not availed of the said remedy within the time prescribed therefor and having not filed the suit within limitation prescribed therefor, their suit is liable to be dismissed on that score.
18. That at any rate, the Receiver appointed by the Additional City Magistrate, Faizabad under the provisions of the Section 145 Cr.P.C. having died and subsequently the Receiver having been appointed by the Civil Court in the Civil Suit under the provisions of the Civil Procedure Code, the present suit of the plaintiffs in its present form, can not proceed and deserves to be dismissed on this count also.
19. That even if the Receiver, appointed by the Civil Court, is or be impleaded in the suit, then the same is illegal and without jurisdiction.

In this very court another suit the other original suit No.4 of 1989 (Regular Suit No.12 of 1961) is pending, wherein the plaintiffs in this suit are a party. If they have any right or claim for restoration of the property, alleged to be their, they could and can get their relief in the said other Original Suit No.4 of 1989.

20. That the Original Suit No.3 of 1989 (Suit No.26 of 1989) and the other Original Suit No.4 of 1989 (Regular Suit No.12 of 1961) are separate suits with different reliefs claimed and different causes of action. These two suits can not be termed

as the suits having been consolidated together, since the same would amount the misjoinder of causes of action. They can not be tried together.

21. That in view of the facts, stated hereinbefore, the suit (O.O.S.No.3 of 1989) is liable to be tried separately and is liable to be dismissed with costs.

O.O.S. No.3 of 1989 (R.S. No.26-59)

In the Court of the Civil Judge, Faizabad

Reg. Suit No.26 of 1959

Nirmohi Akhara and anotherPlaintiffs

Versus

Babu Priya Datta Ram and othersDefendants

Replication to the Joint Written Statement filed by defendants 6 to 8 Hazi Faiku (since dead) Hazi Muhammad Faiq and Ahmad Husain alias Achhan.

The contents of paras 1 to 14 of the plaint are correct and those of W.S. are wrong and denied.

Para 15. The allegations contained in para 15 of the written statement are totally incorrect and are denied. The property in suit is neither a mosque nor is it known as Babri Mosque, nor was it built by Emperor Babar through Mir Abdul Baqi. Nor was it made wakf. The property in suit is the temple of Janma Bhumi.

Para 16. The contents of para 16 of the written statement are totally incorrect and are denied.

Para 17. The contents of para 6 of the written statement are denied. Janma Asthan is a different temple not connected with the temple of Janma Bhumi and with which the plaintiffs have no concern. The temple of Janma Asthan is situated to the north of the temple of Janma Bhumi across the road passing between Janma Bhumi and Janma Asthan. The plaintiffs are not aware of the said suit, if any, filed by any person known as Mahat Raghubar Das as Mahant of Janma Asthan.

Para 18. The contents of para 18 of the written statement are totally wrong and are denied. If any, sketch map be found to have been filed by the said Raghubar Das in the said suit it would be totally false, fictitious and collusive and is not binding on the plaintiffs. The building in suit is nothing else but the temple of Janma Bhumi.

para 19. The contents of para 19 of the written statement are denied.

Para 20. That contents of para 20 of the written statement are pure concoctions are denied.

para 21. The contents of para 21 of the written statement are denied. It was beyond the authority and jurisdiction of the said Chief Commissioner of waqf to declare the temple of Janma Bhumi as a mosque. His decision and declaration to the said effect, if any, is totally null and void. The said notification, if any, is also null and void and of no effect in law. The plaintiffs were never intimated of any proceedings held by the said Chief Commissioner regarding the temple of Janma Bhumi, that is, the building in suit and if any proceedings were conducted secretly and surreptitiously they have no effect in law. The said notification, if any, is neither final nor is it binding on the plaintiffs.

Para 22. The contents of para 22 of the written statement are totally false and are denied. The Muslims were never in possession of the building in suit and the allegation regarding the perfecting of the right of the muslims over the building in question by adverse possession is a pure fiction, concocted for the purposes of the suit.

Para 23. The contents of para 23 of the written statement are totally false. The plaintiffs have always been in peaceful possession of the

building in suit.

Para 24. The contents of para 24 of the written statement are denied. The plaintiffs have ever been in possession of the temple in suit and no question of expiry of the period of limitation arises.

Para 25. The contents of para 25 of the written statement are denied. Proper notice u/s 80 of the C.P.C. was given to the defendants 1 to 5. The other defendants have no right to take the plea of want of notice to the defendants 1 to 5.

Para 26. The contents of para 26 of the written statement are deliberately false and are denied. The muslim defendants as well as the other defendants and the whole muslim community know that the idol of the deity are installed in the building in suit i.e. in the temple of Janma Bhumi and regular puja of the idol is being performed under the receivership of the defendant no.1. No prayers were ever offered by any muslim in the said building. The suggestion of the defendants that any idol were installed in the suit building stealthily is false and malicious. The said building is not a mosque and the relief asked for is within the competence and jurisdiction of the civil court to grant.

Para 27. The contents of para 27 of the written statement are false, malicious and scandalous. It was the temple of Janma Bhumi which was the subject matter of proceeding under Section 145 Cr.P.C. and not any mosque as also admitted by muslims in the said proceeding. It is admitted that the proceedings under section 145 Cr.P.C. were illegal and were in total denial of justice to and in flagrant invasion on the fundamental rights of the plaintiffs in regard to their management of the said temple. The defendants had

no interest in the building in suit and no question of invasion over their rights arises. It is the plaintiffs who have suffered the real loss and who have been deprived of their right of management of the said temple and receiving offerings made thereat.

Para 28. The contents of para 28 of the written statement are totally wrong and are scandalous. The only temple built on the sacred place of the birth of Lord ram Chandra is the Janma Bhumi temple in suit. There is no temple known as temple Janma Asthan as suggested by the defendants built on the place of birth of Lord Ram Chandra. The temple of Janma Asthan which is situate to the north of the temple of Janma Bhumi in suit is a separate temple which is not at all connected with place of birth of Lords Ram Chandra. The defendants seem to exploit the name of the said temple to create a confusion regarding the real place of birth of Lords Ram Chandra. They should point out clearly by correct location as to which is the Janma Asthan Temple mentioned in this para of their written statement. The idols of “Ram Chandra Ji and others” are installed in all the Hindu temples all the world over. The emphasis of communal bias alleged in the written statement is misplaced. The plaintiffs having been aggrieved by the invasion through the illegal proceedings under Section 145 Cr.P.C. upon their fundamental rights of managing their own temple have taken recourse to the court of law in defence of their own legal right. it is the said defendants who supported and instigated by their own fanatic friends are advancing a false and a preposterous claim to the temple of Janma Bhumi by blaspheming it with the name of Babari Masjid. The plaintiffs claim has no relation with any election and to characterise the plaintiff’s claim as an attempt to jeopardize the success of a secular state in India is simply scandalous. it is in fact this defendants and their supporters who by denying the plaintiffs rights and by putting up a false and a fanatic claim to the sacred

place of the birth of Lords Ram Chandra are out to blackmail the noble efforts of the Indian people to the attainment of a secular state.

Para 29. The contents of para 29 of the written statement are wrong and are denied. The description of the property has been correctly given in the plaint and the sketch map with all its inferences is correct.

Para 30. In reply to para 30 of the written statement the plaintiffs contend that they have been in possession and management of the temple of Janma Bhumi ever since the living memory of man. The said temple always belongs to the plaintiff and was managed through his Sarbarahkar the plaintiff no.2 being the present Sarbarahkar.

Para 31. The contents of para 31 of the written statement are denied.

Para 32. The contents of para 32 of the written statement are denied. If the former Government ever acknowledged the temple of Janma Bhumi in suit as Mosque it was simply preposterous and collusive.

Para 33. That contents of para 33 of the written statement are totally wrong and are denied. The plaintiffs suit as framed is maintainable.

Para 34. That contents of para 34 of the written statement are denied. The plaintiffs claim is perfectly justified. The plaintiffs have been in possession of the temple in suit for an immemorial

time and even through the evidence of the construction of the temple by the plaintiff no.1 through his mac... Sarbarahkar may not be traced due to the lapse of immemorial age and want of written records the plaintiffs have acquired title to it by open and adverse possession for a period of time which is longer than the living memory of man.

Para 35. The contents of para 35 of the written statement do not call for a reply. The proceedings under order 1 rule 8 C.P.C. were properly taken. The plaintiffs have no objection to any muslim individual or institution joining the other defendants.

Para 36. The contents of para 36 of the written statement are denied. It is the said defendants who are deliberately resisting the plaintiffs claim on grounds known to them as false and it is they who should be ordered to pay special cost to the plaintiffs.

O.O.S. 3/89

Nirmohi Akhara etc.Plaintiff

Versus

Babu Priyadatta Ram etc.Defendants

Replication on behalf of plaintiff Nirmohi Akhara against the written statement of Defendant No.10.

- (a) That the allegations contained in plain from para 1 to 14 are correct and are confirmed again.
- (b) That the contents contained in para 1 of the written statement of defendant No.10 are denied. The defendant Umesh Chandra was not even in existence in the world when cause of action of the suit accrued. Defendant No.10 has been made a tool and lever by certain group of persons who want to demolish the secular spirit of constitution of India and want to create confusion denying even the mandate of order law occurs.
- (c) That contents of para 3 as contained in the written statement of defendant No.10 are denied. Umesh Chandra being of 32 years of age cannot say anything about the Mahant of Nirmohi Akhara or about its existence. Nor he has any clear conception of Nirmochi Akhara which has its written customs being recognized some more than 500 years ago, in continuity, some of customs are written in a registered deed dated 19.3.49 (prior to date of attachment dated 29.12.49).
- (d) That a chronological events of growth and existence of Math witnessed a glorious revival of Hinduism with the advent of great religious preceptor Shankracharya at the end of 7th century A.C. The Hindus Maths were established for the first time by Shankaracharya who himself founded four Maths at the four corner

of India (1) Goverdhan Math at Puri, (2) Jyoti Math at Badrinath, (3) Saroda Math at Dwarka, (4) Sringari Math on the Tangabhadra.

(e) That practice of setting up Maths which was started by Shankracharya was followed by almost all the religious Teachers since then. The first in order of time was Ramanujacharya next followed by RAMAND.

(f) That Ramanand founded a sect of Vaishnabs known as Ramats which contains a large element of ascetic population who are to be found in Baharas and Ayodhya Ramanand had established several Maths. Ramanandi Maths consist solely of celebates. They obey no caste rules and admit even Sudras in their brother-hood. That RMATS worship one God in the form of Rama and they call themselves Dasses servants of Lords. Thus existence of plaintiff fraternity is coming down from the time of Rama Nand.

(g) That near about more than 500 years ago a great spiritual preceptor known as Shri Swami Brijanand Ji and Shri Balanand Ji belonging to Ramanandi sect of vairagies (belonging to fraternity of plaintiff) had established three Annu known as (1) Nirmohi, (2) Digamber, (3) Nirwani for protection, improvement of “Chatuha Rama Nandi Sampradaya” comprising seven Akhara in it as follows:-

- (1) Sri Panch Ramanandi Nirmohi Akhara.
- (2) Sri Panch Ramanandi Nirwani Akhara.
- (3) Sri Panch Ramanandi Digambari Akhara.
- (4) Sri Panch Ramanandi Santoshi Akhara.
- (5) Sri Panch Ramanandi Khaki Akhara
- (6) Sri Panch Ramanandi Niralambi
- (7) Sri panch Ramanandi Maha Nirwani

(h) That aforesaid Akhara are Panchayati Math and act on a domestic pattern. The real power vests in Panchas. The

appointment of Mahant is through election by Panchayat and has becomes only a formal head of institution.

(i) The Nirmohi Akhara being a Panchayat' Math can own several temple in it as such Nirmohi Akhara owns a temple known as Ram Janam Asthan i.e. Birth place of Lord Rama.

(j) That it would be pertinent to point out here that Kistwar plot No.163 of first regular settlement of 1861 has been a very big plot having 5 Bighas 19 Biswas of land in it but when in the year 1995 amended map was prepared a road bifurcating Janam Asthan now known as Ram Janam Bhumi lies towards south of the Road whereas Janam Asthan of Gudar Dass lies towards north side of the Road leading from Hanuman Garhi to Janam Bhumi Road as shown in map of last settlement of 1937 A.D. by Kistwar no.159 and 160.

(k) That at the time of attachment of main building outer enclosures comprising of Ram Chabutara where diety of Bhagwan Ram Lala Ji is installed with Laxman Ji. Bharat Ji and Shatruhan Ji in a cage (Guffa), situate both in the eastern side and western side with Hanuman Ji are installed. The outer enclosure have panchmukhi Shanker Ji, Ganesh Ji etc. also with Chhatti Pujan Asthan where Holy Foot Prints of Lord Ram (Charo Bhaiya) are penerial source of worship of followers of brotherhood of Ram Nandi Vairagies. These outer enclosure was in possession of Nirmohi Akhara as the Fard of 145 Cr.P.C. proceedings it self depicts prior to attachment in 1882 Feb.

(l) The Nirmohi Akhara is a religious denominations and had been maintaining managing the disputed temples since long and as already said in the plaint always used to receive it's offering through Pujaris.

(m) That Baba Baldeo Das was pujari as well Panch of Nirmohi Akhara when attachment was made. His desciple Bhaskar Das now UP-SAPPANCH and General Agent of Nirmohi Akhara was there

with him discharging the duties of Pujari. According to custom of Nirmohi Akhara 5 Sadhus 3 Pujaries 2 cooks and one Panch always used to live at Shri Ram Janam Bhumi. Building certificate for outer enclosure has always been passed in the name of Mahant Raghunath Das of Akhara.

(n) That Lord Ram Chandra installed in main temple belonged to Panchayati Math of Nirmohi Akhara. The big Deity of Lord Ram Chandra installed therein, is Achal Deity while a little Ram Lalla Ji as called Utsava Murti which according to custom prevalent in Bairagi Sect of Sadhus in Ayodhya are used to discharge certain outside ceremony like Shrud Punoo etc. Beside there are six Salig Ram Bhagwan. There are Singhasan Silver 2, one Murti of Hanuman Ji and other parshades are there as detailed in para 3 of the plaint.

(o) That Panchas of Nirmohi Akhara and Panchas of Nirwani Akhara fought together against many civil forces to save Hanoman Garhi and Ram Janam Bhumi and as such Hanuman Garhi belonged to Panch Rama Nandi Nirwani Akhara similarly Sri Ram Janam Bhumi belonged to Panch Ramanandi Nirmohi Akhara and same custom riwaz Parampara as are applicable to Hanuman Garhi is and used to be discharged for darshan of Hindu Public at large by Nirmohi Akhara prior to attachment.

(p) That outer enclosure was owned and managed by Nirmohi Akhara, Plaintiff. In the year 1967 it was released by court of City Magistrate, Faizabad in favour Ram Lakhan Das, Goliki a Panch of Nirmohi Akhara in inter see dispute. Again in the year 1973 Regular Suit No.9/73 in the court of Civil Judge, Faizabad and several other disputed intersee upto Regular suit No.39/82 followed. The Judicial record and it's decisions are in favour of Nirmohi Akhara proving the title and possession of plaintiff. Since 1982 the outer enclosure is in possession of Receiver appointed by court in regular suit No.39/82 pending in the court of civil Judge III

Faizabad.

(q) That contents of para 6 of written statement of defendant No.10 are denied. The case was vehemently fought by Panch Nirmohi Akhara. Baldeo Das was a prominent figure who started Akhand Kirtan beneath Tin She Chabutara. He also filed written statement in 145 Cr.P.C. proceeding. Several Mohamdans of Vicinity had filed affidavit in favour of Nirmohi Akhara. The parties arrayed have been arrayed legally and constructive presence of all against whom order 1 rule 8 C.P.C. have been enlarged shall be presumed to exist by motion of law. There is no question of abatement in such a suit. The order dated 30.7.53 passed by City Magistrate in case u/s 145 C.P.C. case No.1/2/18 was only to consigned the record which shall be taken after the order of Civil court.

(r) The contents of para 7 of written statement of defendant No.10 are denied.

(s) That contents of para 8 of written statement of defendant No.10 is denied. Plaintiff being Panchayati Math is a legal entity which will never die. Some hidden greedy person may emerge to say any thing to their lust against Nirmohi Akhara, but Nirmohi Akhara as being eternal legal body had fought for and is fighting for his legal right regarding disputed temple.

(t) That contents of para 8,9,10,11,12,13 and 14 of written statement of defendant No.10 are denied.

(u) That contents of para 15 are denied being repetition only.

(v) That contents of para 17 are vague and are denied.

(w) That contents of para 18 and 10 of written statement of defendant No.10 are denied. The defendant No.10 is too short to give any advice to plaintiff.

(x) That contents of para 20 of written statement of defendant No.10 are denied.

(y) That contents of para 21 of written statement of defendant No.10 are misconceived and hence denied.

(z) That Umesh Chandra has been utilized just by Hindu Vishwa Parishad only as a lever for some ulterior motive best known to Umesh Chandra.

17.5.63

Present:- Sri Sarav Jeet Lal, advocate for plaintiff.
And Sri Mohd. Ayub, advocate for defendants 7 &
8.

Shri Sarab Jeet Lal, advocate states as follows:-

The plaintiff claims that this property in suit is believed to be the birth place of Lord Ram Chandra Ji. So there is a temple of Lord Ram Chandra on it. The plaintiff claims that this temple is in the management and of control of the plaintiff. It is further clarified that this property is not dedicated to the Idol although the temple is made in the land which is the birth place of Lord Ram. It is owned by the plaintiff and the temple was made by the plaintiff. It is added that the present suit is confined to property shown by letters E, F, G, I, J, K, L. although in directions were shown by letters E, F, G, H, P, N, M, L, E belongs to the plaintiff.

Sd/-illegible
Sarab Jeet Lal & Mohd.Ayub

Sd/-illegible
Civil Judge,
17.5

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH: LUCKNOW
OTHER ORIGINAL SUIT NO.3 OF 1989
(Reg. Suit No.26/59)**

Nirmohi Akhara Vs. Babu Pirya Dutt Ram and others

**Issues framed in the court of Civil Judges Faizabad on
17.5.1963**

Issue No.1:-

Is there a temple of Janam Bhumi with idols installed therein as alleged in para 3 of the plaint ?

Issue No.2:-

Does the property in suit belong to the plaintiff No.1 ?

Issue No.3:-

Have plaintiffs acquired title by adverse possession for over 12 years ?

Issue No.4:-

Are plaintiffs entitled to get management and charge of the said temple ?

Issue No.5:-

Is the property in suit a mosque made by Emperor Babar Known as Babari masjid ?

Issue No.6:-

Was the alleged mosque dedicated by Emperor Babar for worship by Muslims in general and made a public waqf property ?

Issue No.7:-

- a. Has there been a notification under Muslim Waqf Act (Act no.13 of 1936) declaring this property in suit as a Sunni Waqf ?
- b. Is the said notification final and binding ? Its effect.

Issue No.8:-

Have the rights of the plaintiffs extinguished for want of

possession for over 12 years prior to the suit ?

Issue No.9:-

Is the suit within time ?

Issue No.10:-

(a) Is the suit bad for want of notice u/s 80 C.

(b) Is the above plea available to contesting defendants ?

Issue No.11:-

Is the suit bad for non-joinder of necessary defendants ?

Issue No.12:-

Are defendants entitled to special costs u/s 35 C.P.C. ?

Issue No.13:-

To what relief, if any, is the plaintiff entitled ?

Issue No.14:-

Is the suit not maintainable as framed ?

Issue No.15:-

Is the suit properly valued and Court-Fee paid sufficient ?

Issue No.16:-

Is the suit bad for want of notice u/s 83 of U.P. Act 13 of 1936 ?

Issue No.17:-

(Added by this Hon'ble Court order dated 23.2.96) “Whether Nirmohi Akhara, Plaintiff, is Panchayati Math of Rama Nandi sect of Bairagies and as such is a religious denomination following its religious faith and per suit according to its owner custom.”

ओ०ओ०एस०नं०१/१९८९

(आर.०एस०नं०२-५०)

गोपाल सिंह विशारद एवं अन्यवादीगण

बनाम

जहूर अहमद व अन्य.....प्रतिवादीगण।

वअदालत श्री सिविल जज महोदया,फैजाबाद

अरजी दावा हसव आर्डर ७ कायदा१ जावते दीवानी

वसीम नम्बरी

श्री गोपाल सिंह विशारद उःल०भः ४२ साल वल्द ठा गिरधारी सिंह

साः मो०सरगद्वार शहर अजोध्या प्र०हवेली अवध तः वॉ जि० फैजाबाद मृतक-
वादी

राजेन्द्र सिंह आयु ४६ र्वा पुत्र श्री गोपाल सिंह विशारद वर्तमान पता
स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा गोण्डा ।

बनाम

१. जहूर अहमद उ०ल०भ० ६८ साल वल्द लामालूम सा० मो० बड़ा बाजार ,
मृतक शहर अयोध्या म०हवेली अवध त०वाँ जिला-फैजाबाद,शहर अयोध्या
२. हाजी फेकू उ०ल०भ० ६५ साल वल्द लामालूम मो० टेढ़ी बाजार,मृतक,शहर
अयोध्या प०हवेली अवध त०वाँ जि०फैजाबाद
३. मोहम्मद फायक उ०ल०भ० ४५ साल वल्द लामालूम -मो०टेढ़ी बाजार ,
मृतक,त० जि०फैजाबाद,शहर अयोध्या प०हवेली अवध
- ४.मोहम्मद शमी चुड़ीवाला उ०ल०भ० ४५ साल वल्द लामालूम सा० मो०
रामगंज मृतक ,जि० फैजाबाद,शहर -अयोध्या प्र०हवेली अवध त०वाँ
५. मोहम्मद अच्छन मियां उ०ल०भ० ४५ साल वल्द लामालूम सा० मो० कटरा-
मृतक,शहर अयोध्या प्र०हवेली अवध त०वाँ जिला-फैजाबाद
६. यूनाईटेड प्राविसेंज,उत्तर प्रदेश इस्टेट, लखनऊ
७. के०के०नैयर , डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद
८. श्री मारकण्डे सिंह अडिशनल ,सी०टी० मजिस्ट्रेट फैजाबाद
९. श्री रामकृपाल सिंह ,सुपिरन्टेंडेंट आफ पुलिस फैजाबाद
- १०.सुन्नी सेन्द्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ मोती लाल बोस रोड
पुलिस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ द्वारा सेक्रेटरी
- ११.निर्मोही अखाड़ा अयोध्या हवेली अवध, अयोध्या जि० फैजाबाद
द्वारा सरपंच रामस्वरूपदास, उपसरपंच मं० भास्करदास तथा
पंच राजाराम चन्द्राचार्य

दावा इसतिकरारया वॉ हुकुम इमतनाई दवामी

स्वत्व ज्ञापक तथा संतत नियोधात्मक आदेश हेतु वाद पत्र

वादी निम्नलिखत वाद पत्र प्रस्तुत करता है

धारा१ यह कि मूल वादी १सनातन धर्मवलम्बी अयोध्या निवासी है और अपने धर्मानुकूल देवताओं के मूर्तियों की पूजा व दर्शन करता था वर्तमान वादी भी अपने मृतक पिता (मूल वादी) की तरह ही सनातन धर्मावलम्बी व देवी देवताओं तथा देव स्थलों का दर्शन, पूजा आदि करने वाला है।

धारा 2 यह कि वादी जन्मभूमि में भी उस स्थान में जिसका विवरण नीचे दिया है उसमें जो भगवान श्री रामचन्द्र जी की मूर्ति तथा चरण पादुका आदि हैं उसका भी पूजा व दर्शन आदि करता आया है और बिना किसी रोकटोक के उस स्थान में भी पूजा व दर्शन करने का अधिकारी है और भविय में भी सदा करने का अधिकारी है।

धारा 3 यह कि उन दिनों मूल वादी अस्वस्थ था और स्वस्थ होने पर मकर संक्रान्ति अर्थात् 14 जनवरी सन् 1950 ई० को जब पूजा व दर्शन करने के हेतु जन्मभूमि पर गया तो प्रतिवादी नम्बर 6 युक्त प्रान्त के कर्मचारियों ने मूल वादी को भीतर जहाँ श्रीरामचन्द्र आदि की मूर्ति विराजमान है जाने से रोक दिया और यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी 1 लगायत 5 तथा उनके अन्य सहधर्मियों के निराधार तथा असत्य दुराग्रह से प्रभावित होकर प्रतिवादी नम्बर 6 ने अपने कर्मचारियों प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 के द्वारा हिन्दू जनता को उनके पूजा व दर्शन सम्बन्धी न्यायपूर्ण उचित अधिकार से वंचित कर रक्खा है। और प्रतिवादी नम्बर 6 प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 आदि के दुराग्रह के कारण यह घोणा करते हैं कि भविय में भी हिन्दू

जनता को इसी प्रकार उनके उपर्युक्त अधिकारों से वंचित रखेंगे इस अन्यायपूर्ण कार्य से मूल वादी के स्वत्वक अधिकार जिसका उसने सदा उपभोग किया था क्षति हो रही है और ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान वादी को भी उसके उपरोक्त धार्मिक अधिकारों के प्रयोग में प्रतिवादीगण द्वारा अनुचित व अवैध हस्तक्षेप की पूर्ण संभावना व आशंका है।

धारा 4 यह कि प्रतिवादी नम्बर 6 अपने कर्मचारियों अर्थात् प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 के द्वारा हिन्दू जनता पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं कि भगवान श्री रामचन्द्र आदि की मूर्तियों को वर्तमान स्थान से हटा देंगे अन्य प्रतिवादीगण उनका पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और हर प्रकार इस अनुचित व अन्याय पूर्ण कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं।

धारा 5 यह कि उपर्युक्त अन्याय पूर्ण अनुचित व अवैध कार्य में समस्त प्रतिवादीगण डायन्त्र रचे हुए हैं, जिससे वादी के स्वत्व व अधिकार पर आघात है और किसी भी दृष्टिकोण से प्रतिवादी गण नम्बर 1 लगायत 5का दुराग्रह मान्य नहीं हो सकता। और प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 9 के उपर्युक्त घोणा मही विक्टोरियों की घोणा जो उन्होंने धर्म के सम्बंध में राज स्थापित करने के समय भारतर्वा में किया था, उसके विरुद्ध है और राज्याधिकार के परे हैं तथा (दृष्टव्य है) है, और प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 9 को स्वच्छन्दता के दृष्टिकोण से एहद 1935के द्वारा प्राप्त अधिकारों की सीमा के बाहर है, अतः यह नितांत अत्याचार पूर्ण कार्य है। और चूकिं यह सब कार्य न्याय व कानून के विरुद्ध है, अतः यह वाद-पत्र उपस्थित करना अनिवार्य हुआ।

धारा 6 यह कि वाद पत्र का विवाद कारण तारीख 14 जनवरी सन् 1950 ई० से इस न्यायालय के सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है व तत्पश्चात् भी लगातार वर्तमान वादी के उपरोक्त धार्मिक अधिकारों के प्रयोग में प्रतिवादीगण द्वारा अनुचित व अवैध हस्तक्षेप होते रहने से इस न्यायालय के सीमाधिकार में उत्पन्न है।

धारा 6अ यह कि मूल वादी की मृत्यु दौरान वाद दिनांक 28.12.89 को हो गयी। वर्तमान वादी उसका पुत्र व वैधानिक उत्तराधिकारी है और उसको भी अपने पिता की तरह वे समस्त धार्मिक अधिकार प्राप्त है अतः वर्तमान वादी को भी वाद चलाने का अधिकार है, प्रतिवादीगण 1ता 5 की भी मृत्यु हो चुकी है उनके स्थान पर किसी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 6ब यह कि न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.88के अनुसार प्रतिवादी नं०10 को मुकदमे में पक्षकार बनाया जा रहा है और वाद प्रतिवादी नं०10के विरुद्ध भी दायर किया जा रहा है। तथा वाद पत्र के उपसम प्रतिवादी नं०10के विरुद्ध भी मांगा जा रहा है।

धारा 7 यह कि इस वाद तथा उपशम का मूलांकन वाद वादी 5100/-रुपया नियत करता है परन्तु वाद पत्र स्वत्व ज्ञापक तथा सतत नियोधात्मक आदेश हेतु है, अतः 19 और 5100/-के दशांश पर 510/-पर 51 का न्यायशुल्क अर्थात् की लगाता है।

धारा 8 वादी निम्नलिखित उपशम का प्रार्थी है।

(क) यह घोणा की जाये कि वादी अपने धर्म नियम तथा रीति के अनुसार श्री भगवान रामचन्द्र आदि विराजमान स्थान जन्मभूमि जिसका विवरण निम्नांकित है के निकट जाकर विला रोक टोक निर्विवाद, निर्विघ्न पूजा व दर्शन करने का अधिकारी है और प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 और 7 लगायत 9 व प्रतिवादी नं० 10 व उनके स्थानापन्नों को वादी के उपर्युक्त अधिकार में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है।

(ख) स्थायी व सतत नियोधात्मक आदेश प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रसारित किया जावे कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 और 7 लगायत 9 व प्रतिवादी नं०10 उनके

स्थानापन्न स्थान जन्मभूमि जिसका विवरण निम्नांकित है ,उसमे श्री भगवान रामचन्द्र आदि के विराजमान मूर्तियों को उस स्थान से जहाँ वह है कभी न हटावें तथा उसके प्रवेश द्वार व अन्य आने जाने के मार्ग न बन्द करें और पूजा व दर्शन में किसी प्रकार की विघ्न व बाधा न डालें।

(ग)वादी को प्रतिवादी गण से इस व्यवहार का कुल खर्चा दिलाया जाय।

(घ) अन्य तथा विशेष उपशम जो सब बातों को दृष्टि में रखते हुए न्याययुक्त हो,वादी को प्रतिवादीगणके विरुद्ध दिलाई जावे।

विवरण वाद ग्रस्त स्थान:-.....

पूर्व-जन्म भूमि का भण्डार व चबूतरा

पश्चिम-परती

उत्तर-सीता रसोइया

दक्षिण- परती

मैं वादी मुक्तिर हूँ कि अरजी दावा की दफा 1 लगायत 5 वइल्म वॉ दफा 6वा 7 वयकीन मेरे सही वॉ दुरुस्त है और दफा 8के सही वॉ दुरुस्त होने को वादा करता हूँ तसदीक तः13.1.50को वमोकाम कचहरी दीवानी फैजाबाद की ।

ह0/- गोपाल सिंह विशारद

प्रार्थी श्री गोपालसिंह विशारद

तः13.1.50बजरये चौ0केदार नाथ एडवोकेट

ह0/-गोपाल सिंह विशारद

रजिस्टर्ड पता वादी

श्री गोपाल सिंह विशारद मो0सरगद्वार पो0 अजोध्या जि0फैजाबाद

ह0/-गोपाल सिंह विशारद

न्यायालय श्री0सिविल जज फैजाबाद,

(ओ0ओ0एस0नं01/1989)

(आर0एस0नं02-50)

बयान तहरीरी मिनजानिब मुद्दालेहुम 1ता 5 हस्ब आ0 8 का0 1 जाब्ता दीवानी

श्री गोपाल सिंह विशारद वल्द ठाकुर गिरधारी सिंह साकिन मुकाम सर्सद्वारा शहर
अयोध्या परगना हवेली अवध जिला फैजाबाद-----वादी

बनाम

1. श्री जहूरअहमद वल्द नूर मुहम्मद
2. हाजी मुहम्मद फायक वल्द हाजी मुहम्मद रमजान 1लगायत 5साकिनान
3. मोहम्मद शमी वल्द मखदूम बक्स अयोध्या परगना हवेली अ
वध
4. मुहम्मद अच्छन मिया वल्द जाहिर हसन त0व जिला फैजाबाद
5. हाजी फेकू वल्द छज्जू
6. यू0पी0लखनऊ
7. के0के0के0नैयर डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद
8. श्री मार्केन्डेय अडीशनल मंजिस्ट्रेट फैजाबाद
9. श्री रामकृपाल सिंह सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस फैजाबादमुद्दालेहुम

नम्बर मुकदमा 2सन्50ई0

बयान तहरीरी 21.2.50

तनकीह 2.3.50

दावा इस्तकरारिया व हुकुम इम्तिनाई दवामी

दफा 1. इन्कार है

दफा 2 कुलम जमून दफा हाजा से इन्कार है जिस जायदाद का दावा किया जाता है वह जनमभूमि नहीं हैं। बल्कि शहन्शाह हिन्द बाबर शाह की तामीर करदा मस्जिद है।

दफा 3. इन्कार है । कुल मजमून दफा हाजा महज फरजी व बेबुनियाद वाकयात वज़ा करके मुद्ई ने बदनीयती से दावा हाजा खिलाफ़ मुद्दालेहुम मुजीब व दीगर मुद्दालेहुम दायर किया है।

दफा 4 यह कि जिस कदर मुताल्लिक मुद्दालेहुम 6 लगायत 9 दर्ज अर्जी दावा हैं उससे बवजह लाइल्मी इन्कार है। बकिया मजमून दफा हाजा बिलकुल फरजी व बेबुनियाद है जैसा कि उजरात मजीद से वाजे होगा।

दफा 5 यह कि इन्कार है मुलाहिजा ही उजरातमजीद।

दफा 6 कोई बिनाय मुखासिमत दावा हाजा मुद्दई को हासिल नहीं है।

दफा 7 यह कि मालियत दावा मुद्दई ने दीदा व दाजिस्ता बहुत कम जाहिर किया है। मालियत दावा हाजा कमअज कम 5लाख रुपया है कोर्ट फीस भी कम अदा किया गया है।

दफा 8 यह कि मुद्दई किसी दादरसी हाये मतलूबा का किसी सूरत में पाने का मुस्तहक नहीं है।

उ ज रा त म जी द

दफा 9 यह कि जिस जायदाद का मुद्दई ने दावा किया है वह शहन्शाह हिन्द बाबर शाह की तामीर करदा मस्जिद मौसूमा बबाबरी मस्जिद है। जिसको शहशाह मजकूर ने बाद फतेहआबी हिन्दुस्तान दौरान कयाम अयोध्या अपने वजीर व मुदारूल मोहाम मीर बाकी के यहतमाम से सन्1528में तामीर कराया और तामीर करके तमाम मुसलमानान के लिए वक्फ आम कर दिया। जिसमें तमाम मुसलमानान का हक इबादत है।

दफा10 यह कि बाद तामीर मसजिद मजकूर शहन्शाह बाबर ने मसजिद मजकूर की खिताबत व मरम्मत व दीगर इखराजात के लिए मु0 60 रू0 सालाना का अतिया अपने खजाना शाही से मुकर्रर किया। जो दौरान कयाम सलतनत मुगलिया मस्जिद मजकूर को बराबर मिलता रहा और जमाना जवाल सलतनत मुगलिया नवाबीन अवध ने भी इस अतिया को कायम रक्खा और अपने जमाना हकूमत में रकम अतिया मजकूर को इजाफा करके

मु0302रू0आना 6पा0 सालाना अता करना मन्जूर किया जो रकम बाद इंतजाय सलतनत अवध बृटिश गवर्नमेंट ने भी जारी रखा और जमाना बन्दोबस्त अव्वल में गवर्नमेंट बर्तानिया ने मुतवल्लियान को बजाय नकद अतिया मजकूर के मवाजियात सोलापुरी व वहोरनपुर मुतखिल अयोध्या बतौर माफी बिनावर मुसारिफ मसजिद बाबरी अता किया।

दफा 11 यह कि सन्1885में मु0रघुबरदास महन्त जनमस्थान अयोध्या ने खिलाफ सेक्रेटरी आफ स्टेट्स फार इन्डिया इन काउन्सिल व मु0 असगर मुतवल्ली व खतीब मसजिद बाबर मजकूर 1दावा इजलास जनाब सब जज साहब बहादुर फैजाबाद में बइजहार मिलकियत खुद दायर किया।

दफा12 यह कि मुकदमा मजकूर के सिलसिले में मुद्दई ने एक नक्शा नजरी भी दाखिल किया था जिसमे मसजिद बहुत साफ व सरीह तौर पर दिखलाया था और उस पर कोई एतराज नहीं किया था। दादरसी सिर्फ एक जुजो आराजी मौसूमा चबूतरा पर माँगी थी। अब मुद्दई मुकदमा हाजा का यह कहना कि कुल इमारत मुतदाविया जनमभूमि का मंदिर है। बिलकुल गलत और बेबुनियाद है और मुकदमा हाजा के लिए बद्यान्ती व बेईमानी से गढ़ा गया है।

दफा13 यह कि अदालतसिब जज साहब बहादुर फैजाबाद ने बतारीख 24 दिसम्बर सन्85ई0दावा मुद्दई बाबत चबूतरा भी खारिज कर दिया और फैसला मजकूर अदालत अपील से भी बहाल रहा और सिब जज साहब के फैसले में जो रिमार्क मुताल्लिक

खरिजुल मियाद व मिलिकियत मुद्दई निसबत चबूतरा मुतदाविया मुकदमा मजकूर मुद्दई के हक में था उसको मन्सूख व मुस्तरद कर दिया और मुकदमा व अपील फुकल्लेयतन खारिज कर दिया।

दफा14 यह कि मुकदमा मजकूर निहायत सनसनी खेज था और उसने तमाममहन्थान अयोध्या व मुजज्जि अहेले हिन्दू अयोध्या फैजाबाद मुद्दई मजकूर की हिमायत व पैरवी में थे तमाम अहेले हिन्दू को इल्म मुकदमा मजकूर का था और है।

दफा15 यह कि बमौजिब मुसलिम वक्फ ऐक्ट 13सन्1936चीफ कमिश्नर औकाफ मुकरर हुए और चीफ कमिश्नर मजकूर ने बाद तहकीकात व मुआयना मौका मस्जिद बाबरी यह तय किया मस्जिद बाबरी का तामीर कुनिन्दा शहन्शाह बाबर सुन्नीउल मजहब था और वक्फ मुताल्लिक मस्जिद मजकूर सुन्नी वक्फ है और इसी सिलसिले में कानूनी नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया।

दफा16 यह कि कब्जा मुसलमानन बतौर वक्फ मसजिद बाबरी पर सन्1528ई0 से आज तक मुसलसल चला आता है इस वजह से अगर किसी जमाने मे मुद्दई या कोई और हिन्दू यह साबित भी करे कि मसजिद बाबरी की तामीर के पहले कोई मन्दिर मुकाम मस्जिद मजकूर पर था जिससे मुद्दालेहुम मुजीब को कतअन इन्कार है तो उस हालत में भी कब्जा मुसलमान जायद अज 400साल और बहरसूरत जायद अज 12 साल से वइल्म व आगाही मुद्दई वदजुमला अहेले हिन्दू बतौर मस्जिद वक्फआमः चला आता है। इस वजह से अहले हिन्दू व नीज मुद्दई का कोई हक बाकी नहीं रहा ।

दफा 17 यह किमुद्दई का कब्जा या कोई हक इमारत मुतदाविया में न कभी था और न है इस वजह से दावा इस्तकरारिया हसब दफा 42कानून दादरसी खास नाकाबिल फजीराई अदालत है।

दफा18 यह कि दावा मुद्दई किसी हालत में अन्दर मियाद नहीं है।

दफा19 यह कि मुद्दई ने अपने अर्जी दावा में न कोई जाती इस्तहकाक बाबत इमारत मुतदाविया जाहिर किया है और न उसको कोई इस्तहकाक निसबत जायदाद मुतदाविया कभी पैदा था या है। ऐसी सूरत में दावा हाजाकाबिल अखराज है।

दफा20 यह कि मुद्दई ने कोई दरखास्त हस्ब आ01कायदा 8 जा0दीवानी नहीं दिया है और न किसी और तरीके से अपने को मनजानिब अहले हिन्दू बमजाज दावा जाहिर किया है । हाला कि अपने अर्जीदावा में मुद्दई ने तमाम हिन्दू जनता के हुकूक के तहफूज के लिए ईस्तदलाल किया है और दादरसी माँगी है ऐसी सूरत में दावा हजानाकिस वकाबिल एखराज है ।

दफा 21 यह कि मुद्दई ने मुद्दालेहुम 6 लगायत 9 के खिलाफ कोई नोटिस हस्ब

दफा 80 जाब्ता दीवानी जारी नहीं किया है इस बिना परभी दावा हाजा नाकिस वनकाबिल फजीराई अदालत है ।

दफा122 यह कि मुद्दालेह मुजीब को इल्म नहीं है कि जायदाद मुतदाविया यानी मसजिद बाबरी के अन्दर कोई मूर्ति है । ता0 16.12.1949 ई0 तक उसमें नमाज हुई। उस वक्त तक उसमें कोई मूर्ति न थी । लेकिन अगर कोई मूर्ति मस्जिद के अन्दर किसी सख्स ने चोरी व बदनीयती से बाद ता0मजकूर रख दिया हैतो उससे मसजिद की सरीही व बेहुरमती वदनापाकी मुतसव्वर है और फेल मजकूर कानूनन मुजरिमाना है और अगर मुद्ई या कोइ दूसरा सख्त मसजिद मजकूर में मूर्ति पूजने या दर्शन करने की गरज से मस्जिद के अन्दर दाखिल होना चाहता है तो वह जुर्म का मुतकिब है । चुनान्चे ऐसी हालत में अदालत दीवानी

दादरसी मतलुबा देने से कासिर है बहरहाल उससे मुद्ईया किसी गैर मुसलिम को मसजिद मजकूर में कोई हक नहीं पैदा हो सकता।

दफा123 यह कि अर्जीदावा में मुद्ई ने यह नहीं जाहिर किया है कि मुद्दालेहुम 6लगायत 9 ने किस तरह से मुद्ई से मुजाहिमत किया है और न उनके अहकाम का कोइ हवाला दिया है अर्जी दावा नियाहत मोहमिल व लचर है।

दफा124 यह कि मुद्ई ने यह भी जाहिर नहीं किया है कि मुद्दालेहुम 6 के किन कर्मचारियों ने और किस हैसियत से मुद्ई को रोका है मजमून अर्जी दावा के लिहाज से दा वा महज उन मखसूस कर्मचारियों पर ही हो सकता था।

दफा 25, यह कि जहाँ तक मुद्दालेहुम मजीब को इल्म है मुद्दालेह नं09 ने काररवाई हख दफा 145 जाब्ता फौजदारी जायदाद मुतदाविया यानी मसजिद बाबरी के मुताल्लिक किया है कारवाई मजकूर सरासर गलत व खिलाफ इन्साफ व मुद्दालेहुम मुजीब के हकूक को पामाल करने और मुद्ई व दीगर शोरिस पसन्द फिरकावार असखास को मदद देने की गरज से बइइल्म व ईमा मुद्दालेहुम 7 व 8 मुसम्मे गुरुदत्त सिंह साविक सिटी मजिस्ट्रेट फ़ैजाबाद की गयी है।

दफा 26 यह कि काररवाई दफा 145जा0फौ0से मुद्दालेहुम मुजीब को इत्तिफाक नहीं है लेकिन कानूनन काररवाई दफा मजकूर के होते हुए कोई दावा हुकुम इम्तिनाई काबिल जीराई अदालत नहीं है। अदालत दीवानी मजाज नहीं है कि यह एहकामात ग वर्नमेन्ट या यह कामात अदालत फौजदारी मजाज में कोई मदाखिलत करे।

दफा 27 यह कि अयोध्या में एक मंदिर मौसूमा बमंदिर जन्मस्थान श्री रामचन्द्र की जनम भूमि पर मुद्दत मदीद से कायम व मौजूद है और उस मन्दिर में रामचन्द्र जी वगैरह की मूर्तियाँ विराजमान है दावा हाजा निसबत मसजिद बाबरी बइजहार स्थान जनमभूमि

मुद्ई व उसके दीगर फिरकापरस्त व मुफसिदा परदाज साथियों की जिदत व इख्तराह का नतीजा है और आइन्दा इलेक्शन में अकसरीयत की हमदर्दी और वोट हासिल करने की गरज से व नीज कांग्रेस गवर्नमेंट व हिन्दुस्तान की च्छ्हद्वध्द्वद्व च्छ्हद्वद्व को नाकाम व बदनाम करने की गरज से दायर किया गया है ।

दफा 28 यह कि मुकदमा हाजा महज मुद्दालेहुम मुजीब को हैरान व परेशान व जेरबार करने की गरज से बदनीयती से बिला किसी इस्तहकाक या वजह से दायर किया गया है इसलिए मुद्दालेह मुजीब हर सूरत में खरचा खास हस्ब दफा 35 अजाब्ता दीवानी अलावा खरचा मुकदमा मुद्ई से दिला पाने के मुस्तहक व मजाज है।

दफा 29 यह कि मुद्ई एक निहायत मामूली कम हैसियत व बेमाया सख्स है और वह महज इसी गरज से मुद्ई बनाया गया है ताकि अखराजात मुकदमा मुद्दालेहुम वसूल न कर सकें। इसलिए इन्साफन व कानूनन यह जरुरी है कि मुद्ई से माकूल जमानत बाबत खरचा मुकदमा तलब की जावे ।

दफा 30 यह कि ववजूहात बाला दावा मुद्ई मय खरचा काबिल एखराज है।

ता021.2.50

प्रार्थीगण.....

तसदीक इबारत
मैं मुद्दालेहु जहूर अहमद मुकिर हूँ कि दफात 1
लगायत 7व 9 लगायत 20व 23लगायत 29
बइल्म व दफा 8व 21व 22व 30वयकीन मेरे
सही व दुरुस्त है। तसदीक बमुकाम कचेहरी
अहाता दीवानी की गई ता021.2.50

ह0/- (उर्दू में)

जहूर अहमद
हाजी मुहम्मद फायक
मोहम्मद शमी
मुहम्मद अच्छन मिया
हाजी फेंकू।
मुद्दालेहुम मुजीब
ह0/अपठनीय
ह0/फेकू
ह0/-(उर्दू में)
ह0/-(उर्दू में)
ह0/-(उर्दू में)
ह0/- अपठनीय,
एडवोकेट

21.2.50

न्यायालय श्रीमान सीविल जज महोदय, फ़ैजाबाद।

प्लीडिंगं ओ0ओ0एस0नं03 आफ 1989(आर0एस0नं026-59)

बयान तहरीरी हस्व आ08कायदा 1जा0दी0

निर्मोही अखाड़ा जरिये महन्त रघुनाथ दास वगैरहमुद्दयान
बनाम

बाबू प्रियादत्त राम वगैरह.....मुद्दालेहुम

बयान तहरीरी मिनजानिब मुद्दालेहुम 6 लगायत 8

- धारा 1 इनकार है गलत है।
- धारा 2 इनकार है गलत है।
- धारा 3 इनकार है निहायतमुबहम ओर गलत है नक्शानजरी से भी इनकार है ।
- धारा 4 बिलकुल गलत व फर्जी है।
- धारा 5 बिलकुल फर्जी और गलत है।
- धारा 6 जिस तौर पर तहरीर है तसलीम नहीं है।
- धारा 7 फर्जी व गलत है व इनकार है ।
- धारा 8 फर्जी व गलत है व इनकार है ।
- धारा 9 बिलकुल गलत व फर्जी है।
- धारा10 मुद्दयान को कोई बिनाय मुखासमत पैदा नहीं है।
- धारा11 मालियत कम लगाई गई है और कोर्ट फीस कम अदा की गयी है ।
- धारा12 इनकार है।
- धारा13 इनकार है।
- धारा14 मुद्दयान दादरसी मनूलवा के मुस्तहक नहीं है।

उजरात मजीद

धारा15- यह कि जिस जायदाद का मुद्दयान ने दावा किया है वह सहनशाह हिन्द बाबर बादशाह की तामीर करदा मशजीद मौसूमे बाबरी मसजिद है जिसको सहनशाह मजकूर ने अपने बजीर व मदारुल मोहाम मीर बाकी के एहतनाम से 1528 ई0में तामीर कराया। और मुसलमान के लिए वक्फ आम कर दिया जिसमे तमाम मुसलमानान का हक इबादत है ।

धारा16 यह कि वाद तामीर मसजिद मजकूर सहनशाह बाबर रहमतुल्ला अलेह ने मसजिद मजकूर की हिफाजत मरम्मत व दीगर अखराजात के लिए

मु060 रुपया सलाना का अतिया अपने खजाने शाही से मुकर्रर किया। जो दौरान कयामसलतन मुगलिया मसजिद मजकूर को बराबर मिलता रहा । बाद जैमाने जबाल सलतनत मुगलिया नौआबीन अवध ने दी इस अतीये को कायम रखा। और अपने जमाने हुकुमत में रकम अतिये मजकूर को इजाफा करके मु0302 रुपये 3 आना 6 पाई सलाना कर दिया । जो रकम बाद रखतीताम सलतनत अवध ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने भी जारी रखा। और उस जमाने में बन्दोवस्त अव्वल में गवर्नमेंट बर्तानिया ने मुतबलियान को बजाए नकद अतिया मजकूर के मुआविजियात सोलापुरी व घूरनपुर व बहोरनपुर मुतसीर अयोध्याबतौर माफी बिनाबरमसारित मसजिद बाबरी अता किया।

धारा17 यह कि सन्1885ई0मुसम्मी रघुबर दास महन्थ जनम स्थान अयोध्या ने खिलाफ सिक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया इन कौंसिल व मुसम्मी मुहम्मद असगर मुतवली व खतीब मसजिद बाबरी मजकूर एक दावा इजलास जनाब सब जज साहब बहादुर फैजाबाद न मे ब इजहार मिलकियत खुद दायर किया।

धारा18 यह कि मुकदमा मजकूर के सिलसिले मे मुद्दई ने एक नक्शानजरी में भी दाखिल किया। जिसमें मसजिद बहुनत साफ व सरीह तौर पर दिखलाया था इस पर कोई एतराज नहीं किया था । दादरसी सिर्फ एक जुजबे आराजी मौसूमा चबूतरा की माँगी थी अब मुद्देयान मुकदमा हाजा का यह कहना कि कुल इमारत मुतदाविया जनम मूमि का मंदिर है बिलकुल गलत और बेबुनियाद है। और मुकदमा हाजा के लिए बयान्ते व बेईमानी से गढ़ा गया है ।

धारा19 यह कि अदालत सब जज बहादुर फैजाबाद से बतारीख 24दिसम्बर सन्85ई0 दावा मुद्दई बाबत चबूतरा भी खारिज कर दिया और फैसला मजकूर अदालत अपील से भी बहाल रहा और सब जज के फैसले में जो रिमार्क मुंतालिक खारजुल मियाद मिलकियत मुद्दई निस्वत चबूतरा मुतदाविया मुकदमे मजकूर मुद्दई के हक में था

उसको मनसूख व मुस्तरद कर दिया और मुकदमा व अपील कुल्लीयतन खारिज कर दिया।

धारा20 यह कि मुकदमा मजकूर निहायत सनसनीखेज था और इसमें तमाम महन्थान अयोध्या व मुआजिज अहले हिन्दू अयोध्या व फैजाबाद मुद्दई मुकदमा की हिमायत व पैरवी में थे। तमाम अहले हिन्दू को इल्म मुकदमा मजकूर का था और है।

धारा21 यह कि बमौजिब मुसलिम वक्फ एक्ट 13सन्36 ई0 चीफ कमीश्नर अ वकाफ मुकर्रर हुए । और चीफ कमीश्नर मजकूर ने बाद तहकीकात व मुआयना मौका मसजिद बाबरी यह तय किया कि मसजिद बाबरी का तामीर कुलिन्दा सहनशाह बाबर सुन्नी युल मजहब था और वक्फ मुतवल्ली मसजिद मजकूर सुन्नी वक्फ है। और इसी के सिलसिले में कानूनी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जो कतई और फाइनल हो चुका है।

धारा22 यह कि कब्जा मुसलमानान बतौर वक्फ मसजिद बाबरी पर सन्1528ई0से आज तक मुसलसल चला आता है इस बजह से अगर किसी जमाने में मुद्दयान या कोई और हिन्दू यह साबित भी करे कि मस्जिद बाबरी की तामीर के पहले कोई मंदिर मुकाम मसजिद मजकूर पर था जिससे मुद्दालेहुम मुजीब को कतान इंकार है सो इस सूरत में भी कब्जा मुसलमानान जायद अज 400साल और बहर सूरन जायद अज 12साल से व इल्म व आगाही मुद्दयान जुमला अहले हिन्दू बतौर मस्जिद वक्फ आम चला आया है इस वजह से अहले हिन्दू व नीज मुद्दयान का कोई हक बाकी नहीं रहा।

धारा23 यह कि मुद्दयान का कब्जा या कोई हक इमारत मुतदाविया मे न कभी था और न है । इस बजह से दावा नाकाबिल पिजीराई अदालत है।

धारा24 यह कि दावा मुद्दयान किसी हालत में अन्दर मियाद नहीं है।

धारा25 यह कि मुद्दयान से मुद्दालेहुम 1ता 5 के खिलाफ कोई नोटिस दफा 80जा0दी0 जारी नहीं किया । इस बिना परभी दावा हाजा नाकीस व नाकाबिल पीजिराई

अदालत है।

धारा 26 यह कि मुद्दालेहुम मुजीब को इल्म नहीं है कि जायदाद मुनदाबिया यानी बाबरी मसजिद के अन्दर कोई मूर्ती है । 16दिसम्बर सन् 49 ई0 तक उसमे नमाज हुई । उस वक्त तक उसमें कोई मूर्ति नहीं थी लेकिन अगर कोई मूर्ती मस्जिद के अन्दर किसी सख्ख ने चोरी बदनियतीसे बाद तारीख मजकूर रख दिया है तो उससे मसजिद की सरीहीबैहुरमते और ना पाखी मुतसव्वर है और फेल मजकूर कानूनन मुजरमाना है और अगर मुद्दैयान या कोई दूसरा सख्ख मस्जिद मजकूर में मूर्ति पूजने या दर्शन करने की गरज से मसजिद मजकूर के अन्दर दाखिल होना चाहता है तो वह जुर्म का मुरतकिव है । चुनांचे ऐसी हालत में अदालत दीवानी दादरसी मतूलबा देने से कासीर है । बहरहाल इससे मुद्दैयान या किसी गैरमुस्लिम को मस्जिद मजकूर में कोई हक नहीं पैदा हो सका।

धारा-27. यह कि जहाँ तक मुद्दालेहुम मुजीब को इल्म है, मुद्दालेह नं0- 5 ने कार्यवाही हस्ब दफा 145 जा0 फौ0 जायदाद मुनदाबिया यानी बाबरी मस्जिद के मुतालिक किया है । कार्यवाही मजकूर सरासर गलत , खिलाफ इंसाफ और मुद्दालेहुम मुजीब के हकूक को पामाल करने और मुद्दैयान व दीगर शैरीस पसन्द फिरकेबा राना असखास को मदद देने की गरज से बइल्म व इमा के0के0 नायर साबिक डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद व श्री गुरदत्त सिंह साबिक सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद की गई है ।

धारा-28. यह कि अयोध्या में एक मंदिर मौसूमा बमंदिर जनम स्थान श्री राम चन्द्र जी की जनम भूमि पर मुद्दत दराज से कायम व मौजूद है और उस मंदिर में राम चन्द्र जी वगैरह की मुरतियां विराजमान हैं। दावा हाजा निस्बत मसजिद बाबरी व इजहारे इस्तहकाक जनम भूमि मुद्दैयान व उसके दीगर फिरका परस व

मुफसिदा परदास साथियों की जिदत व इस्तराक का नतीजा है। और इलेक्शन में अकसरियत की हमदर्दी और वोट हासिल करने की गरज से वव नीज कांग्रेस गवर्नमेंट व हिन्दुस्तान की सिकुलर स्टेट को ना काम बनाने व बदनाम करने की गरज से दायर किया गया है ।

धारा-29. यह कि अर्जी दावा में निहायत मुवहम तरीके से जायदाद मुतदाविया जाहिर की गई है और नक्शा नजरी में बिल्कुल गलत है और जितनी चीजें नक्शा नजरी में दिखलाई गई हैं, वह बिल्कुल गलत और फर्जी हैं। मस्जिद के पूरब व दखिन व उत्तर कब्रिस्तान है जिसमें पोख्ता व खाम कबरें मौजूद हैं और न वहां शंकर चबूतरा है न सीता कोप है, न लोमस चौरा है, न हनुमानद्वार और बारा भगवान व समाधि मारकण्डे वगैरह है नक्शा नजरी में जिस कदर चीजें दी हुई हैं, वह बिल्कुल गलत व फर्जी है और मनमानी है । और बदनीयती से जाहिर की गई है । अलावा इसके यह नहीं पता चलता कि ए0 बी0सी0डी0का नंबर खसरा या नंबर आबादी क्या है और उसकी लम्बाई- चौड़ाई ओर मुकाम बूक क्या है ।

धारा-30. यह कि मुद्दैयान ने यह जाहिर नहीं किया है कि वह किस तरह जायदाद मुतदाविया के कब से और किस तरह मालिक हुए जब तक मुद्दैयान इस बात की वजाहत न करें उस वक्त तक मुकम्मल जवाबदेही नहीं हो सकती ।

धारा-31 यह कि मुसम्मी गोपाल सिंह विशारद व परमहंस राम चन्द्र दास ने दो दावे बाबरी मस्जिद के मुतालिक किये हैं। जो जेर कार्यवाही हैं। असखास मजकूर का मुकदमा हाजा में फरीक होना चाहिए अलावा इसके महन्थ जनम स्थान को भी फरीक होना जरूरी है ।

धारा-32. यह कि बाबरी मस्जिद मुसल्लमा तौर से मसजिद है। और गवर्नमेंट साबिका और मौजूदा उसको मसजिद मानते चली आई है । ऐसी हालत में दावा मुद्दैयान

नारबा और ना मुनासिब है और अकलियत पर ना मुनासिब और बेजा जुल्म है।

धारा-33. यह कि मसजिद मुतदाविया हस्ब दफा 146 जा0 फौ0 कुर्क है । ऐसी हालत में दावा हाजा जिस तौर पर दायर हुआ है, कानूनन काबिल पिजीराई अदालत नहीं है ।

धारा- 34. यह कि दावा बइजहार मिलकियत बहर सूस्त बातिल और ना काबिल पीजिराई अदालत है और दावा में तजाद पैदा है ।

धारा-35. यह कि मुदालेहुम मुजीब को कोई इल्म कार्यवाही हस्ब आ0 1 कायदा 8 जा0 दी0 नहीं है । मुदालेहुम मुजीब के पास बमुकदमा हाजालडने के लिए सरमाया है और न वह मुकदमा हाजा लड़ने के अहैल हैं । मुदैयान का मनशा है कि मुदालेहुम मुजीब को धमका व डरा कर मजबूर कर दे ,दावा हाजा में तमाम मुसलमानान हिन्दुस्तान की दिलचस्पी है चुनांचे इस मुकदमे में ऐसे लोगों को मुदालेह बनाना चाहिए जो सही नुमाइन्दगी कर सके।

धारा- 36. यह कि दावा हाजा बदनीयती से जेरबार व परेशान करने की गरज से दायर किया गया है, जो मय खरचा स्पेशल तावान हस्ब दफा 35अ जा0 दीवानी काबिल अखराज है ।

मैं मुदालेहुम 6 व 8 मकिर हूँ कि मजमून बयान	प्रार्थी,
नतहरीरी हाजा के दफात 1 ता 36 व इल्म यकीन मेरे	हाजी फौकू मुदालेह नं0-6
सही व दुरुस्त है, तसदीक बमुकाम मसकनखुद	हाजी मुहम्मद फायक
	मुदालेह
बमुकाम अयोध्या किया और मुदालेह नं0-7 ने कुल	नं0-7
दफात की तसदीक कचेहरी फौजाबाद में किया।	अहमद हुसैन उर्फ न मीयां
ता0 28-3-60 ई0	मुदालेह नं0-
	दिनांक-28-3-60

श्रीमान् सिविल जज साहब बहादुर फैजाबाद के
न्यायालय में जवाबुलजवाब श्री गोपाल सिंह विशारद की ओर से

ता० पेशी 5 दिसम्बर सन् 1952 ई०

मुकदमा नम्बरी नम्बर

श्रीगोपाल सिंह विशारद वादी

बनाम

श्री जहूर अहमद आदि प्रतिवादीगण

वादपत्र स्वत्व ज्ञापक तथा सतत नियोधात्मक आदेश हेतु

धारा-1. से आठ तक जो वादपत्र में लिखा है वह सब ठीक है अब कोई प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

धारा-9. जो चौहद्दी वादी ने अपने वादपत्र में जन्म भूमि स्थान की दी है, उसमें वादपत्र प्रस्तुत करने के पूर्व से श्री रामचन्द्र जी की मूर्ति का प्रादुर्भाव था और उसका रूप तथा नाम वादी मंदिर ही मानकर देखता है-- वास्तव में है और फौजदारी के न्यायालय ने भी उसको (राम जन्म) मंदिर के ही रूप में पाकर भगवान श्री रामचन्द्र जी के पूजा पाठ त भोग रागादिक प्रबन्धार्थ बाबू प्रियादत्त राम चेरमैन फैजाबाद को सिपुर्ददार नियत करके यह आदेश दिया इत्यादि पूर्ववत् चलता रहे, फलतः मुसलमान लोग उस -----कर पाते, सन् 1934 ई० से मस्जिद के रूप में यह कभी भी आया। बाबरी मस्जिद होने से इन्कार है। बाबर का वक्फ-----

असत्य है। तमाम मुसलमानों को इबादत करने का अधिकार नहीं है ।

धारा-10. स्वीकार नहीं है। अप्रासंगिक है ।

धारा-11 स्वीकार नहीं है, अप्रासंगिक है ।

धारा-11 से 14 तक उसी अभियोग के सम्बन्ध में है और अप्रासंगिक है।

जिसका कोई प्रभाव इस अभियोग पर नहीं पड़ सकता और न समस्त हिन्दुओं पर उस का बन्धन आ सकता है ।

धारा-13. अस्वीकार है ।

धारा-15. ऐक्ट नं०-13 सन् 1936 बिल्कुल छद्म है और उसके सम्बन्ध यदि कोई कार्रवाई की गई तो वह सब धृष्ट है, वादी किसी नोटिस के बन्धन में नहीं है और न किसी कार्यवाही जिसका वर्णन धारा-15 में किया गया है, इस अभियोग पर कोई प्रभाव है। वादी का अनुमान है कि वह अभियोग मुसल्मा परस्पर उद्यन्त्री भावना (साजिशी) से योजित किया था ।

धारा-16. अस्वीकार है ।

धारा-17. जिस प्रकार लिखा है, अस्वीकार है । प्रार्थी जिस उपशम को चाहता है,

उसका धारा-42विधान दादरसी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

धारा-18. व्यवहार अवधि के अन्तर्गत है ।

धारा-19. वादी अपने निजी स्वत्व का अधिकारी है और उपशम पाने का भी अधिकारी है । प्रतिवादीगण ने इस धारा में जिस प्रकार से गोल मोल लिख दिया है , उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ।

धारा-20. अस्वीकार है, प्रतिवादीगण ने आर्डर-1 रूल-8 जाब्ता दीवानी की कार्यवाही किये जाने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र 4 अगस्त सन् 1951ई0 को दिया था जिसका उत्तर वादी ने 18अगस्त सन् 1951ई0 को दिया था , अब उसी की पुनरावृत्ति से कोई लाभ नहीं ।

धारा-21. धारा-80 जाब्ता दीवानी का उज्र (विरोध) वही ले सकता है, जिसके लिए धारा-80 का निर्माण हुआ है। प्रतिवादीगण नं0-1 लगायत 5 को यह उज्र करने का कोई अधिकार नहीं है ।

धारा-22. अस्वीकार है । प्रतिवादीगण नं0 - 1 लगायत 5 को अच्छी प्रकार विदित है कि मूर्ति इस स्थान में विराजमान है । वादीगण के - ज्ञान में सन् 1934 ई0 के पश्चात नमाज नहीं हुई और यदि किसी राजकीय कर्मचारी ने कोई ऐसी झूठी सूचना नमाज पढ़ने की दी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं और किसी ऐसी असत्य सूचना या बलात दो - चार व्यक्तियों के नमाज़ पढ़ने से वादियों के 1934 ई0 से दिनांक दावे के दिन तक के मुसलसल अधिकार में कोई बाधा नहीं पड़ सकती है, विशेषतः जबकि वह अधिकार प्रतिवादीगण के ज्ञान में भली प्रकार चला आ रहा था ।

धारा-23. अस्वीकार है, वाद पत्र में इसका विवरण स्पट रूप से अंकित है। राजकीय कर्मचारियों ने हिन्दू जनता तथा वादियों को विशेषतः भीतर जाने तथा पूजा पाठ करने से रोक दिया और सरकारी कर्मचारियों का वही अवैध कार्य इस बात का मूल है ।

धारा-24. अस्वीकार है, कर्मचारी प्रतिवादी बनाये गये हैं ।

धारा-25. प्रतिवादीगण नं0-1 से लेकर 5 की असत्य बातों में आकर धारा-145 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की, जिस प्रकार प्रतिवादीगण ने उल्लेख किया है, सब असत्य है ।

धारा-26. अस्वीकार है । प्रतिवादीगण को स्पट रूप से उस विधान पर प्रकाश डालना चाहिए, जिससे इस न्यायालय को समात का अधिकार नहीं है ।

धारा-27. मंदिर जन्म स्थान जिसके संबंध में प्रतिवादियों ने इस धारा में कथन किया है,

वह सर्वथा दूसरा मंदिर है , जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है -

उत्तर - हाता व परती व मंदिर बकब्जे कल्लू महापात्र

दक्षिण - सड़क पुख्ता

पूर्व - सड़क व सेहन व कुआँ

पच्छिम - हाता व परती ।

श्री अयोध्या जी में लगभग सभी मंदिरों में श्री रामचन्द्र जी की मूर्ति स्थापित है, जिनसे झगड़े वाले स्थान से कोई संबंध नहीं है । निर्वाचन की चर्चा इस धारा में व्यर्थ तथा तथ्यहीन है और सर्वथा अप्रासंगिक है ।

धारा 28. गलत है ,अस्वीकार है, प्रतिवादीगण कोई खर्चा व हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

धारा-29. वादी एक वकील है, जो पहले देशी रजवाड़े अर्थात् समथर राज्य में वकालत करता था और वहा उसकी बहुत सी सम्पत्ति है, जो सब इण्डियन यूनियन के अन्तर्गत आ गई है, जिससे वादी को यहां भी वकालत करने का अधिकार हो गया है,जैसा कि यू0पी0 राजकीय गज़ट पार्ट- 11,18 अगस्त सन् 1951 ई0 में प्रकाशित है। कोई विधान ऐसा नहीं है, जिससे वादी से जमानत व्यय के विय में मांगी जाये ।

धारा-30. अस्वीकार है, व्यवहार डिग्री होने के योग्य है ।

प्रत्युत्तर

धारा-31. जैसा कि प्रतिवादीगण कहते हैं कि यह बाबरी मस्जिद है । इसे प्रमाणित करने में यदि वह सफल भी हों तो भी क्योंकि सन् 1934 ई0 से कभी कोई मुसलमान इस मंदिर के भीतर जाने नहीं पाया और हिन्दुओं का ही तब से अविराम रूप से स्पटतः प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में अधिकार बना रहा,इसलिए प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी मुसलमान का यदि कोई हक रहा भी हो तो उस सबका अन्त हो गया और वह हक निराकृत हो गया । इस स्थान को मंदिर मानकर हिन्दू होने के नाते प्रत्येक हिन्दू उसमें बराबर आता-जाता रहा है, जिससे मंदिर का होना निश्चित रूप से परिपक्व हो गया है । यदि कभी किसी मुसलमान ने कुछ भी अपना हक प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया तो उसके हक को अस्वीकार करते हुए हिन्दुओं ने विशेषतः उस स्थान में रहने वालों ने उनको मार भगाया। पता चला है कि मुसलमानों ने परस्पर एक जाली तथा फर्जी व ाडयन्त्री अभियोग किसी सिविलजज के इजलास में योजित करके कुछ फर्जी कार्रवाइयां कराई हैं , जिससे वादी को इन्कार है।

और उसका कोई प्रभाव इस व्यवहार पर नहीं पड़ सकता है ,विशेषतःजबकि किसी हिन्दू को उसका पता भी न था ,सब कार्यवाही व फर्जी की गई है, उस अभियोग के कागजात बिल्कुल अप्रासंगिक है, किसी प्रकार भी इस व्यवहार में मानने योग्य नहीं है ,

प्रार्थी: ह0/ गोपाल सिंह विशारद

गोपाल सिंह विशारद

वादी

दिनांक 5 दिसम्बर सन् 1952 ई0

टाइप किया

ह0/ दयाशंकर शुक्ल अर्जीनवीस

5-12-52

Q. In what capacity does the plaintiff seek to exercise the relief which is seeks in the plaint?

Ans. In my individual capacity.

Q. What is your individual capacity?

Ans. My individual capacity is distinct from public capacity and in this matter an idol worshiper . This shows that the plaintiff's counsel is not in a position to answer the court question. The plaintiff must present in court personally on the date fixed.

Q. Has your client any religion?

Ans. The plaintiff is a Sanatan Dharmi.

Sd/- illegible
CJ
15.09.51

Sd/- illegible
Chaudhary Kedar Nath
15.09.51

13.01.60

Parties as before
sd/-illegible

Sri Goswami States ABCDEF is the land and building in suit as indicated in the map of the Commissioner Sri Shiva Shanker Lal dated 25.5.50. It is the temple since 1934. Deities installed are Sri Sri Ram. The building existed prior to 1934. The plaintiff can't say for how long it have been existing. The plaintiff can't say who built it and what it was prior to 1934. Sri Gopal Singh Visharad came in on about 1934 to Ajudhya. He saw the (murti) there, and began to worship them. Sri Paramhans instructs that the (murti) were there from before 1934. Whenever he saw it was a temple. It has always been a temple. He can't say who got it constructed and dedicated.

The plaintiff do not admit that at any time the building was used for prayer or as a Mosque by the Mohammaden community. Babar never built it. He was never emperor of India. I deny that it was ever used as a mosque.

The plaintiffs confine their case to the construction shown by letters ABCDLKJPOHNGA as shown in the map of the Commissioner dated 25.5.50. The Chabutra and Mandir shown in the map of the Commissioner as “Ram Chabutra” and “Bhandar” are the same as those described in the eastern boundary of the temple in question in the plaint.

The replication para 31 filed in suit no. 25 of 1950 by Paramhans does not refer to the litigation mentioned in para 14 of the map filed by Zahur Ahmad and others. The proceedings mentioned in the last part of para 31 of the replication relate to those cases and proceedings which were between Mohammedans-sunnies & shias & others i.e. relating to suit no. 29 of 1945 of the Court of Civil Judge, Faizabad.

sd/-illegible
13.1.60

In the Court of Civil Judge, FD.
Reg. Suit No. 02/50
Gopal Vs. Zahoor
Regular Suit No. 25/50
Paramhans Vs. Zahoor

07.03.62

Defendant Gopal Singh Visharat and Sri Param Hans Ram Chandra plaintiffs of both the suits no. 2/50 and 25 of 1950 accompanied by their counsel state that they do not want any relief with regard to constructions or structures indicated in the map of the Commissioner Shiv Shankar Lal dated 25.05.50. by the terms 'Sita Rasoi', 'Bhandar' and 'Ram Chabutra'. They say that the reliefs are asked for only with regard to property included in the said map by letters A, B, C, D, L, K, J, P, O, H, N, G, A.

They further add that the term ' Janam Bhumi used in the plaint refers to Janam Bhumi of Sri Ram Chandra Ji and according the plaintiff's belief the property in the suit is the site of the same.

They add that there is no foot prints carved out on any stone or any stone image of any Charan Paduka (.....) referred to in para 2 of the plaint.

According to them at the place in suit near the idol of Bhagwan Ram Chandra Ji are kept wooden sandals or Charan Paduka and also a small pair of silver Charan Paduka . They are not fixed to any stone, structure or floor but are placed loose near the idol.

They are that the idol of Bhagwan Ram Chandra Ji at the place in suit is an Achal () idol.

They add that in plaintiffs claim right of worship with regard to the said Idol and also with regard to the 'Charan Paduka'.

The plaintiffs also claim a right to worship all the deities and idols situated in the property in suit besides that of Bhagwan Ram Chandra Ji as for example Laxman Ji, Hanuman Ji, Sita Ji, Saliqram Ji, etc. They also claim a right to worship and have Darshan of these as well as they have a right to a Darshan of the site in question, as according to their belief it is the birth place of Sri Ram Chandra Ji.

Sd/- illegible

Param Hans Ram Chandra Das
Gopal Singh Visharat
07.03.62

Sd/- illegible

Civil Judge, Faizabad
07.03. 62

In the court of Civil Judge, FD
Reg. Suit No. 2 of 1950
Reg. Suit No. 25 of 1950

07.03.60

Sri Mohd. Ayub, Advocate for the defendants states that the decision referred to in para 11 to 14 of the WS was in original Suit No. 61/280 of 1885 in the Court of Sub-Judge, Faizabad, Raghubar Das Mahanth versus Secretary State for India and Others. He adds that this decision bars the present suit by principle of resjudicata and estoppel.

Sd/-illegible
Sri Mohd. Ayub

Sd/- illegible
Civil Judge

07.03.62

In the court of Civil Judge, FD
Reg. Suit No. 2 of 1950
Gopal Vs. Zahoor
Reg. Suit No. 25 of 1950
Param Hans Vs. Zahoor

08.03.62

Sri P.D. Goswami, Advocate for defendants states that the reports of the Commissioner spoken in Para 15 of WS has not effect on the rights of plaintiff, nor do the provisions of Section 5 (3) of U.P. Act, 13 of 1936 apply to the present suit as they are based on a right of worship of plaintiff who is a Hindu. According to him the provisions of the Act are applicable to the property and the right of the Muslims only.

He does not give up the plea taken by him in the replication in that connection.

According to him the said Act has been repelled by U.P. Act 16 of 1960. He further adds that in case the said Act be considered applicable in the present suits it is ultra vires the provisions of the Government of India Act 1935 and is in conflict with the Ancient Monuments Preservation Act. (Act No. VII of 1904.

Sd/-illegible
P. D. Goswami

Sd/- illegible
Civil Judge, FD
09.03.62

In the court of Civil Judge, FD
Reg. Suit No. 2 of 1950
Gopal Vs. Zahoor
Reg. Suit No. 25 of 1950
Param Hans Vs. Zahoor

09.03.62

Sri Mohd. Ayub Advocate for the defendants states that under para 15 of the WS in Suit No. 2 of 1950, the defendants plead that the suit is barred by provision of Section 5 (3) of Muslim Waqf Act, 1936 (U.P. Act No. 13 of 1936).

He adds that by the plea set up in para 19 of the WS, it is meant that the suit is bad for want of consent in writing of the Advocate in general and other provisions of Section 91 of the C.P.C.

He adds that from para 9 of WS the plea arises that Almighty God in whom the property in suit vests duly represented by some authorised persons should have been made a party to the suit and the suit is bad for non-rejoinder of parties. He adds that the Muslim in general or the Mutwali

of the said Waqf or Sunni Central Board or Waqf should also have been made defendants in the suit.

He adds that the present suit being a suit for injunction is barred by time under Article 120 of the Indian Limitation Act.

Sd/- illegible
Sri Mohd. Ayub

Sd/- illegible
Civil Judge, FD
09.03.62

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH: LUCKNOW
OTHER ORIGINAL SUIT NO.1 OF 1989
(Reg. Suit No.2/1950)

Gopal Singh Visharad Vs. Zahoor Ahmad and others

AND

Regular Suit No.25 of 50

Param Hans Ram Chandar Versus Zahoor Ahmad and others,

Issues framed by the Civil Judge Faizabad on 9.3.1962 in the suits noted above:-

Issue No.1:-

Is the property in suit the site of Janam Bhumi of Shri Ram Chandra Ji?

Issue No.2:-

Are there any idols of Bhagwan Ram Chandra Ji and are His charan Paduka' situated in the site in suit.?

Issue No.3:-

Has the plaintiff any right to worship the 'Charan Paduka' and the idols situated in the place in suit.?

Issue No.4:-

Has the plaintiff the right to have Darshan of the place in suit.?

Issue No.5 :-

- a. Was the property in suit involved in original suit no.61/280 of 1885 in the court of sub-judge, Faizabad Raghubar Das Mahant Vs. Secretary of State for India & others.?
- (b) Was it decided against the plaintiff.?
- (c) Was that suit within the knowledge of Hindus in general and were all Hindus interest in the same.?
- (d) Does the decision in same bar the present suit by principles of Resjudicata and in any other way.

Issue No.6:-

Is the property in suit a mosque constructed by Shansha Babar commonly known as Babri mosque, in 1528A.D.?

Issue No.7:-

Have the Muslims been in possession of the property in suit from 1528A.D.

Issue No.8-

Is the suit barrad by proviso to section 42 Specific Relief Act.?

Issue No.9:-

Is the suit barred by provision of section (5) (3) of the Muslim Waqfs Act (U.P. Act 13 of 1936);?

- a. Has the said act no application to the right of Hindus in general and plaintiff of the present suit, in particular to his right of worship.?
- b. Were the proceedings under the said act referred to in written statement para 15 collusive? If so, its effect?
- c. Are the said provisions of the U.P. Act 13 of 1936 ultra-vires for reasons given in the statement of plaintiff's counsel dated 9.3.62 recorded on paper No.454-A-?

Issue No.10:-

Is the present suit barred by time ?

Issue No.11:-

- a. Are the provisions of section 91 C.P.C. applicable to present suit ? If so is the suit bad for want of consent in writing by the advocate general ?
- b. Are the rights set up by the plaintiff in this suit independent of the provisions of section 91 C.P.C. ? if not its effect. ?

Issue No.12:-

Is the suit bad for want of steps and notices under order 1 Rule 8 C.P.C. ? If so its effect. ?

Issue No.13:-

Is the suit No.2 of 50 Shri Gopal Singh Visharad Vs. Zahoor Ahmad bad for want of notice under section 80 C.P.C. ?

Issue No.14:-

Is the suit no.25 of 50 Param Hans Ram Chandra Vs. Zahoor Ahmad bad for want of valid notice under section 80 C.P.C. ?

Issue No.15:-

Is the suit bad for non-joinder of defendants. ?

Issue No.16:-

Are the defendants or any of them entitled to special costs under section 35-A C.P.C.?

Issue No.17:-

To what reliefs, if any, is the plaintiff entitled. ?

In the High Court of Judicature at Allahabad

CRIMINAL SIDE REVISIONAL JURISDICTION

Allahabad, dated the 3rd February 1949-50

PRESENT

The Hon'ble R. Dayal..... Judge

and

The Hon'ble Judge

Miscellaneous No.208 of 1950

REX.

VERSUS

Anisur Rahman

Division
Faizabad

By the Court--

Issue notice. Stay meanwhile. A copy of the order may be handed over to the learned counsel on payment of the necessary charges.

S.d. R.D.

3.2.50

I hereby direct the parties described below namely:-

1) Muslims who are bonafide residents of Ayodhya or who claim right of proprietorship or worship in the property in dispute;

2) Hindus who are bona fide residents of Ayodhya or who claim right of proprietorship or worship in the property in dispute.

To appeal before me on 17th day of January at 11.00 a.m. at Ajodhya Police Station in person or by pleader and put in written statement of their respective claims with regard to the fact of actual possession of the subject of dispute.

And the case being one of the emergency I hereby attach the said buildings pending decisions.

The attachment shall be carried out immediately by Station Officer, Ajodhya Police Station who shall then put the attached properties in the charge of Shri Priya Dat Ram, Chairman Municipal Board Faizabad cum Ajodhya who shall thereafter be the receiver thereof and shall arrange for the care of the property in dispute.

The receiver shall submit for approval a scheme for management of the property in dispute during attachment and the cost of the management shall be defrayed by the parties to this dispute in such proportions as may be fixed from time to time.

This order shall, in the absence of information regarding the actual names and addresses of the parties to dispute to be served by publication in :-

1. The English Daily "The Leader" Allahabad.
2. The Urdu Weekly "Akhtar" Faizabad.
3. The Hindi Weekly "Virakta" Ajodhya.

Copies of this order shall also be affixed to the walls of the buildings in dispute and to the notice board at Ayodhya Police Station.

Given under my hand and the seal of the court on this the 29th day of December, 1949 at Ayodhya.

Sd. Illegible
Magistrate Ist Class and
Addl. City Magistrate, Faizabad cum Ayodhya.

No. 513/XV-37-1

Dated: 30.12.49

From:

The District Magistrate,
Faizabad

To

The Editor,
Urdu Weekly 'Akhtar',
Faizabad.

Please have the attached order Section 145 Code of Criminal Procedure on the question of a dispute between Hindus and Muslims in Ayodhya over rights of proprietorship and worship in the buildings

claimed variously as Babri Masjid and Janmabhumi Mandir, published in the next issue of your newspaper.

For District Magistrate,
30-12-49

No. 513/XV-37-1

Dated: 30.12.49

From:

The District Magistrate,
Faizabad

To

Shri R.P.Arora,
Local correspondent 'Leader',
Faizabad.

Please have the attached order Section 145 Code of Criminal Procedure on the question of a dispute between Hindus and Muslims in Ayodhya over rights of proprietorship and worship in the buildings

claimed variously as Babri Masjid and Janmabhumi Mandir, published in the next issue of your newspaper.

For District Magistrate,
30-12-49

No. 513/XV-37-1

Dated: 30.12.49

From:

The District Magistrate,
Faizabad

To

The Editor,
Hindi Weekly 'Virakta',
Ayodhya, Faizabad.

Please have the attached order Section 145 Code of Criminal Procedure on the question of a dispute between Hindus and Muslims in Ayodhya over rights of proprietorship and worship in the buildings claimed variously as Babri Masjid and Janmabhumi Mandir, published in the next issue of your newspaper.

For District Magistrate,
30-12-49

पेपर नं0-15

29-12-49 आज दफा 145 जा0 फौजदारी की नोटिस अयोध्या में बिल्डिंग पर चस्पा की गई।

1 कापी अयोध्या के स्टेशन अफसर को दी गई । _____

1 " " " थाने पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

1 " अधि सेक्रेट्री जरिये जिलाधीश महोदय भेजी गई ।

1 " सुपरिन्टेंडेंट पुलिस फैजाबाद को दी गई ।

30-12-49

1 कापी कमिशनर महोदय भेजी गई ।

2 जिलाधीश महोदय के पास भेजी गई ।

1 चेयरमैन मिनिस्पिल बोर्ड फैजाबाद के पास भेजी गई ।

1 अखबार अखतर फैजाबाद भेजी गई ।

1 English daily leader के पास भेजी गई ।

1 हिन्दी वीकली विरक्त अयोध्या के पास भेजी गई ।

आदेश हुआ कि,

मुसलमान जो अयोध्या के रहने वाले हैं और जो नहीं हैं , की आराजी मुतदाविया में यह पूजा करते हैं या नहीं । हिन्दू जो अयोध्या के रहने वाले हैं और जो कहते हैं कि आराजी मुतदाविया उनकी है या उसमें पूजा करते हैं, 17-1-49 को 11 बजे दिन को अयोध्या थाने पर खुद या जरिये वकील हाजिर हू और बयान तहरीरी अपने- अपने हकूक का दाखिल करें ।

पेपर नं0-16

दण्ड विधि संहिता की धारा-145 के अन्तर्गत मिसिल

मार्कण्डेय सिंह मजिस्ट्रेट- प्रथम श्रेणी तथा अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद और अयोध्या को पुलिस तथा अन्य विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि अयोध्या के हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच उस तथाकथित बाबरी मस्जिद अथवा श्री राम जन्म भूमि जो अयोध्या नगरी के रामकोट मुहल्ले में स्थित है, उसके स्वामित्व तथा पूजाधिकार के लिए परस्पर विरोध है, जो किसी समय भी शांति भंग का कारण बन सकता है,

अतएव मैं निम्नलिखित विरोधी दलों को आदेश देता देता हूँ कि वे-

- (1) मुसलमान जो अयोध्या नगरी के सार्वजनिक अधिकार प्राप्त निवासी हैं या अन्य कोई जो स्वामित्व तथा पूजा का अपने को अधिकारी समझता हो
- (2) हिन्दू जो अयोध्या नगरी के सार्वजनिक अधिकार प्राप्त निवासी हैं या अन्य कोई जो स्वामित्व तथा पूजा का अपने को अधिकारी समझता हो ,

मेरे समक्ष आगामी 17 जनवरी सन् 1950 ई0 को ग्यारह बजे दिन को अयोध्या पुलिस थाने पर स्वयं या अपने वकील द्वारा विवादग्रस्त सम्पत्ति से संबंधित अपने-अपने स्वामित्व तथा अधिकार के समर्थन में अपना-अपना लिखित कथन प्रस्तुत करें और संकटदायक परिस्थिति के कारण, मैं इस विवादग्रस्त सम्पत्ति को अन्तरिम काल के लिए जब तक कि न्यायालय से अन्तिम निर्णय न हो जाये, सरकाराधीन करने की आज्ञा देता हूँ -

विवादग्रस्त सम्पत्ति को सरकाराधीन करने की कार्यवाही अयोध्या नगरी के पुलिस थाने के मुख्य अधिनायक के द्वारा तत्काल की जावे और तदन्तर यह विवादग्रस्त सम्पत्ति अयोध्या तथा फैजाबाद की म्युनिसिपैलिटी के प्रधान श्री प्रिया दत्त की संरक्षिता में दी जाये, जो इस विवादग्रस्त सम्पत्ति के संरक्षक रहेंगे और इसकी रक्षा तथा प्रबन्ध के उत्तरदायी होंगे ।

संरक्षक इस सम्पत्ति की अन्तरिम अवस्था में प्रबन्ध के संबंध में

अपनी योजना शीघ्र मेरी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे । इस प्रबन्ध के लिए जो धन व्यय होगा, वह विरोधी दलों को एक निर्धारित अनुपात में देना होगा, जो समय-समय पर निश्चित किया जायेगा ।

यह आज्ञा उपर्युक्त विरोधी दलों- उनके सदस्यों की नामावली के अभाव में निम्न प्रकार निश्चित की जाती है -

1. अंग्रेजी दैनिक " दी लीडर " इलाहाबाद ।
2. उर्दू साप्ताहिक " अखतर " फैजाबाद ।
3. हिन्दू साप्ताहिक " विरक्त " अयोध्या ।

इस आज्ञा की प्रतिलिपियाँ विवादग्रस्त भवन की बाहरी दीवारों पर तथा अयोध्या नगरी के पुलिस थाने के विज्ञापन पट्ट पर लगाई जाये ।

मेरे हस्ताक्षर द्वारा तथा न्यायालय की मुहर के साथ 29 दिसम्बर सन् 1949 ई0 को यह आज्ञा दी जाती है ।

पेपर नं०-19

नकल सुपुदगी (Inventory)

सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

दफा 145 जा० फौ० बाबत थाना अयोध्या

फैजाबाद जेर काररवाई

रेक्स बनाम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद

Inventory

1. मूर्ति ठाकुर जी 1 (अ) श्री रामलला जी दो मूर्ति एक बड़ी और एक छोटी
(ब) श्री सालिग राम जी की 6 मूर्ति
2. सिंहासन चाँदी दो फिट ऊंचा एक ।
3. मूर्ति हनुमानजी की एक ।
4. (ड) गिलास जर्मन सिलवर का एक ।
गिलास चाँदी का छोटा एक ।
गिलास चाँदी का बड़ा एक ।
5. गरुड़ घण्टी एक ।
6. धूपदानी एक ।
7. आरती एक ।
8. दीवल एक ।
9. हुस्सा व चंदन एक ।
10. फोटो बड़ी रामजानकी की दो ।
11. गमला चार ।

12. फोटो बट्टीनाथ जी (छोटा) एक ।
13. फोटो रामचन्द्रजी छोटा एक ।
14. भगवान के आभूषण:-
दो टोपी रामलला जी और एक हनुमानजी की टोपी
तथा भगवान के वस्त्र आठ नग ।
15. इमारत - तीन गुम्बददार इमारत मय सहन के तथा चहारदीवारी
जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है-
उत्तर - हाता छट्टी पूजन और निर्मोही अखाड़ा ।
दक्षिण - आराजी परती व परिक्रमा ।
पूरुब - चबूतरा मंदिर रामजी का ममलूक निर्मोही अखाड़ा व मंदिर
हाजा ।
पश्चिम- परिक्रमा ।
16. छोटा पीतल का गिलास ।
17. चन्दन की फूल की कटोरी एक ।
18. पंचपस् तथा थाली पीतल एक ।
19. तशतरी पीतल की छोटी एक ।
20. छोटा पटरी लकड़ी का एक ।

हस्ताक्षर: उपस्थित सज्जनों के जो चार्ज के समय उपस्थित हैं ,

Assumed charge that day the 5 of January 1950 at 1.00 p.m. above inventory has been found correct after verification.

Sd./ Priya Dat Ram

Witnesses- Sd. Illegible

Receiver

Vakil

5-1-50

5-1-50

G.N. Mishra

5-1-50

Sd. Tulsi Ram Verma

5-1-50

पेपर नं0-21

1. मूर्ति ठाकुर जी 1 (अ) श्री रामलला जी दो मूर्ति एक बड़ी और एक छोटी

(ब) श्री सालिग राम जी की 6 मूर्ति

2.सिंहासन चाँदी दो फिट ऊंचा एक ।

3. मूर्ति हनुमानजी की एक ।

4.(द्व) गिलास जर्मन सिलवर का एक ।

गिलास चांदी का छोटा एक ।

गिलास चांदी का बड़ा एक ।

5. गरुड़ घण्टी एक ।

6. धूपदानी एक ।

7. आरती एक ।

8. दीवल एक ।

9. हुरसा व चंदन एक ।

10 फोटो बड़ी रामजानकी की दो ।

11. गमला चार ।

12. फोटो बद्रीनाथ जी (छोटा) एक ।

13. फोटो रामचन्द्रजी छोटा एक ।

14. भगवान के आभूषण:-

दो टोपी रामलला जी और एक हनुमानजी की टोपी तथा भगवान के वस्त्र आठ नग ।

15. इमारत - तीन गुम्बददार इमारत मय सहन के तथा चहारदीवारी जिसकी चौहद्दीनीचे लिखी है-

उत्तर - हाता छट्टी पूजन और निर्मोही अखाड़ा ।

दक्षिण - आराजी परती व परिक्रमा ।

पूरब - चबूतरा मंदिर रामजी का ममलूक निर्मोही अखाड़ा व मंदिर
हाजा ।

पश्चिम- परिक्रमा ।

16. छोटा पीतल का गिलास ।
17. चन्दन की फूल की कटोरी एक ।
18. पंचपस् तथा थाली पीतल एक ।
19. तशतरी पीतल की छोटी एक ।
20. छोटा पटरी लकड़ी का एक ।

हस्ताक्षर: उपस्थित सज्जनों के जो चार्ज के समय उपस्थित हैं ,

Assumed charge that day the 5 of January 1950 at 1.00 p.m. above inventory has been found correct after verification.

Sd./ Priya Dat Ram

Witnesses-

Receiver

5-1-50

Sd. illegible

5-1-50

Vakil

G.N. Mishra

5-1-50

Sd. Tulsi Ram Verma

5-1-50

In the Court of the Additional City Magistrate, Faizabad
at Ajodhya Police Station.

.....

Application under Section 526 Cr.P.Code.

In Re:

Rex

Versus

1. Muslamans
2. Hindus.

Anisul Rahman son of Molvi Waziruddin, resident of Begam-Pura,
Ajodhya, FaizabadApplicant

The applicant above named begs to submits as under:-

1. That the applicant has a reasonable apprehension that a fair and impartial inquiry cannot be had in the above noted proceedings in courts at Faizabad.
2. That the applicant is going to move an application for transfer in the above noted proceedings in the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Therefore, the applicant prays that the proceedings may be stayed to enable the applicant to move the transfer application in the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Rahman

nt'

Faizabad

The 17th January, 1950: through

applicant

Sd./- Anisul

Applica

Counsel for the

ORDER

The case is stayed subject to the applicant's is executing a personal bond of Rs.200/- to the effect that he will put in an application before the Hon'ble High Court before 15.2.1950. The case will be taken up on March..... by which time the transfer application is to be decided.

Sd./- illegible
17.1.1950

In the Court of the Additional City Magistrate, Faizabad
at Ajodhya Police Station.

.....

Rex Vs. Hindus & Muslims
Proceedings under Section 145
Cr.P.C.

Whereas I have moved u/s 526 Cr.P.C. to move the Hon'ble High Court Allahabad to get the case transferred to some other district for disposal. I have been asked to furnish personal bond for Rs.200/- for the same. I hereby in compliance of the said order enter into a personal bond of Rs.200/- that I will move a transfer application in the High Court within 15th February, 1950. In default the bond may be forfeited.

Rahman

Sd./- Anisul

File

Sd./- illegible
17.1.1950

To

The District Magistrate, Faizabad

Sir,

In compliance of a proper order duly served on me I assumed charge on the 5th of Jan. 1950 of the premises in dispute in the JNMBHUMI, Ajodhia, which were attached under Section 145. I am required to submit a scheme of its management. The most important item of management is the maintenance of the Bhog and Puja in the condition in which it was carried on when I took over charge.

The number of pujaris cannot be less than three. Two persons are required to keep constant watch to prevent the depredations of monkeys who snatch away the the flowers from the Singhasan and lift away other things.

Below I give the various Bhogs which are being performed, the items of which they consist, and their daily cost.

Bhog No.1.	Mangal Bhog consisting of dry fruits	Rs.1/-
Bhog No.2	Shringar Bhog consisting of sweets	Rs.1/8
Bhog No.3.	Raj Bhog consisting of	
	a. Dal	Rs.1/-
	b. Rice	Rs.2/8
	c. Ata	Rs.2/8
	d. Sag	Rs.1/8
	e. Masala	Rs.-/8
	f. Ghee	Rs. 2/8 Rs. 10/8
Bhog No.4	Uthanpan Bhog consisting of fresh fruits and Namkin	Rs.2/-
Bhog No.5	Arti bhog consisting of one seer of Laddoos	Rs.3/-

Bhog No.6 Bayaroo Bhog consisting of Puri, Sag, and Milk.
Rs.7/-

Rs.25/-

Besides the Bhog, other commodities required for the Puja.

Kesar	Rs.-/4/-	
Agar Bati	Rs.-6/-	
Phul Mala in large quantity.	Rs.2/6	
Chandan	Rs.-4/-	
Itra	Rs./8/-	
Light	<u>Rs.3/-</u>	
	Rs.6/12/-	<u>Rs.6/2</u>
	Grand total	31/2

In addition to this staff mentioned above there should be a supervisor at Rs.45/- to look to all these things.

The three Pujaries will be getting food in the form of Bhog. The Head Pujari will get Rs.15/ p.m. and the other two Rs.5/- p.m. each. There will be a kahar also who will be getting Rs.30/- p.m. This brings the total expenditure on the maintenance of the premises to Rs.1057/- p.m.

On the income side we have the cash offerings only. The income from offerings commencing from 23rd Dec. 1949 upto the 5th Jan. 1950 i.e. during the period before the charge was Rs.233/4/6. But the average monthly income will be Rs.300/- or thereabout only. The maintenance, therefore, becomes much too costly.

I shall, therefore, invite applications from parties willing to perform the Bhog at a cheap contract basis. I shall entrust the Bhog to the most suitable of these parties. My own idea is to spend between Rs. 10/- to s 15/- on all the daily items. Thus will bring down the expenses to about Rs.500/-

Locked boxes for cash offerings will be provided. The in case receipts will be entered in the account book daily. The cost of Bhog will be paid daily.

The watch and ward arrangement of the premises will continue as heretofore i.e. by the Police. The entry of the portion in dispute area will also be regulated as before. The Pujaris, my local representative and other persons employed by me should be allowed free access.

I await your instructions about funds.

The Magistrate in-charge should be intimated about this.

Yours faithfully
(Priya Dat Ram)

In the High Court of Judicature at Allahabad.

Original Transfer Application No. 208 of 1950
under Sec. 526/528 Cr.P.c. pending in the Court
of the City Magistrate, Faizabad.

Anisur Rahman son of Moulvi Vaziruddin caste Syed
resident of Mohalla Begampara, Ajodhya (Faizabad)
.....Applicant.

Vs.

Rex Opposite party

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his Companion Judges of
the aforesaid Court.

The humble petition of the applicant abovenamed most
respectfully showeth:-

That for the reasons disclosed in the accompanying affidavit
it is respectfully prayed that the criminal case No. of 1949 Rex
Vs. Anisur Rahman under Section 145 Cr.P.C. pending in the court
of the Additional City Magistrate, Faizabad be transferred to some
other court of competent jurisdiction outside the district of Faizabad
and further proceedings of the case be stayed meanwhile.

Note: Stay order be sent to the court of the Addl. City Magistrate,
Faizabad in the said case.

Sd. M.A. Kazmi
Counsel for Applicant.

Dated 2.2.50

In the High Court of Judicature at Allahabad.

Affidavit

in

Criminal Misc. No. 208 of 1950.

Anisur RahmamApplicant.

Versus

Rex opposite party

Affidavit of Anisur Rahman son of Moulvi Wazirruddin, caste Syed resident of Mohalla Begampara, Ajodhya, Faizabad. I, Anisur Rahman aforesaid solemnly affirm and state as follows:-

- 1) That I am the sole applicant in this application and am fully acquainted with the facts deposed below.
- 2) That in Ajodhya there is a historical mosque built by Emperor Babar in 1528 A.D. Called the Babari mosque which has got a grant attached to it and is registered under the Waqf Act and the courtyard of the mosque is separated by a wall from small temple which is situated to its East.
- 3) That Hindus and muslims of Ajodhya have been peacefully and calmly carrying on their worship in the temple and prayers in the mosque respectively from times immemorial.
- 4) That on the 9th. Of November, 1949 it was found that two tombs and about 25 graves which lay outside the compound of the Babari mosque had been levelled down and the mosque in the cemetery known as the "Qanati" mosque had been dug up and a new platform adjacent to the aforesaid mosque was constructed and an idol placed on that platform.
- 5) That from 22.11.1949 the Hindus of the place started their 'Jap' (worship) on that place in which a large number of Hindus were collected and for that reason the police advised the muslims not to say their prayers in the surviving Babari mosque all the 5

times while the 'Jap' continued but confine it to Fridays only. In order to avoid a communal clash the muslims acted on the advice and continued to say their prayer every Friday up to December 16, 1949. Except for the Friday prayers the mosque used to be kept locked and guarded by the Police.

6) That on the night preceding the next Friday, namely the night between 22nd and 23rd December, 1949 the Hindus surreptitiously and clandestinely introduced an idol inside the mosque itself and put it on the “Member” (pulpit). Pandit Ram Deo Dubey Sub-Inspector Incharge of Ajudhya made the following report of the incident on 23rd December, 1949:

“On information received through Mata Prasad constable No. 1 when I reached the spot at about 7 in the morning., I learned that a crowd of 50 or 60 persons broke the locks which were put on the compound of the Babri Mosque, and by climbing the walls by ladders illegally entered into (“madakhilat”) the mosque and have placed the idol of Shri Bhagwan and have written on the walls inside and outside Sita Ramji etc. in red and yellow. Constable no. 2 Hansraj who was on the duty prohibited them but they did not heed. He called the P.A.C. Guard for help which was there, but by that time all the persons had entered the mosque, High Officers of the District came to the spot and engaged themselves in management. Afterwards a crowd of 5000 collected and raised religious slogans and performed “Kriten” and wanted to go inside but nothing untowards happened due to proper arrangements. Abhey Ram Dass, Ram Shukul Dass, Sheodarshan Dass and 50 or 60 other persons whose names are not known have committed riot, trespassed into the mosque and have installed an idol in the mosque and have thus polluted (“napak”) the mosque. The police men on duty and many others have been this incident and this check has been prepared.

7) That the muslims of the vicinity were at that time persuaded by the authorities not to say their prayers that Friday. When the

muslims made a representation on 6th January 1950 they were again asked not to say their prayers for some time to come.

8) That in the meantime the District authorities instead of helping the muslims of the vicinity in getting back their mosque have issued notice on 29th December, 1949 under Section 145 Cr.P.C.

9) That in spite of the fact that all the matters have been within the knowledge of the authorities and the police guard has been posted on the spot since 12th November, 1949, and their strength was increased by posting an armed guard on 22nd November, 1949, the above mentioned incidents have taken place. They have created a tremendous sensation not only in Ajodhya but also in the town and District Faizabad.

10) That it is the petitioner's case that the District authorities are not free from communal bias and are rendering direct and indirect assistance to the pass on the mosque. The petitioner apprehends that he cannot have a fair and impartial trial in that district.

11) That Ajodhya being a town with a large Hindu population the authorities appear to be wholly overwhelmed.

12) That Shri K.K.K. Nayer the present Deputy Commissioner of Faizabad has acquired a plot of land on a long lease for building purposes in the name of his wife Shrimati Shakuntala Nayer in Ajodhya proper by means of a registered deed dated 7.6.1967 and probably desires to be a resident of Ajodhya. He cannot therefore, go against the wishes the local people of the Hindu Majority of the place, and the applicant apprehends that he can havejustice at their hands.

13) That the learned Additional City Magistrate, Faizabad Shri Markande Singh has attached the mosque and put in the charge of Shri Priya Dat Ram who has beenan active part in the present agitation there. In original order he went to the length of ordering Receiver to arrange for the worship in thenearly as possible

as at present but subsequently scored it out.

14) That the local authorities are persisting in of these proceedings and thus affording opportunity for the continued misuse of the mosque there is no apprehension of any breach of the muslims are exhibiting a remarkableconnection and in spite of the institution suit in that connection in the court of the Judge, Faizabad, which is registered as In this suit even a temporary injunction has been issued against (1) Zahoor Ahmad (2) Haji Pheku (3) Haji Mohd. Faiq (4) Mohd. Sami (5) Mohd. Achchan (6) U.P. Govt. (7) Shri K.K.K. Nayer, District Magistrate, Faizabad. (8) Chaudhari Kirpal Singh S.P. and (9) Shri Markande Singh City Magistrate, Faizabad on 16.1.1950 as under:-

“Issue notices. Issue interim injunction in the meanwhile as prayed. The defts should also be informed that a temporary injunction has already been issued exparte.”

The prayer in the application for injunction is as follows:-

“Therefore the applicant prays that a temporary injunction be issue against the defts to the effect that they should not remove the idols of Shri Bhagwan Ram Chandra & others from Asthan Janam Bhum the details of which are given in the till the decision of the case, and they further be ordered not to close the Ramesh Dwar and other passages of ingress and egress to the visitors and also that they should not place any obstacle in the Puja and Darshan.”

15) That the entire atmosphere in Ajodhya and Faizabad is surcharged with communalism and in view of the highly strained relations between the two communities and also the district authorities not being free from communal bias neither Ajodhya nor Faizabad would be a proper place for the inquiry under section 145 Cr.P.C. proceedings and the life of the witnesses of the applicant would not be safe, as is being demonstrated by the activities near the Babri mosque.

16) That the contents of paras 1 to 15 of this affidavit are true to

my personal knowledge and belief, nothing has been concealed and
no part of it is false.

Sd. Illegible

पेपर नं०-47

न्यायालय श्रीमान् सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य

बनाम

मुस्लिम अयोध्या

हस्ब दफा 145 जाब्ता फौजदारी

थाना- अयोध्या ।

बयान तहरीरी मिनजानिब हसनू व० अलादीन व वली मोहम्मद व०
हसनू

सा० मोहल्ला कटरा कन्धरपुर गोड़ियाना थाना व शहर अयोध्या।

1/धारा- यह कि बाबरी मस्जिद, जन्मभूमि तोड़कर बनाई गई है ।

2/धारा- इस जमीन पर और मस्जिद के अन्दर हिन्दू और मुसलमान दोनों
इबादत करते रहे । गदर के बाद मस्जिद के अन्दर मुसलमान जुमा के
दिन नमाज पढ़ते रहे हैं और बाहरी हाते में श्री रामजी की मूर्ति की पूजा
होती रही है । मगर अलावा जुमा के हिन्दू लोग मस्जिद के अन्दर भी
पूजा करते रहे ।

3/धारा- इस मस्जिद के बाबत अक्सर हिन्दू मुसलमान में बलवा होता रहा
। सन् 1934 के बलवे में मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया, मगर
सब हिन्दू मुकदमे से बरी हो गये । इसके बाद मुसलमानों ने यहां नमाज
पढ़ना बन्द कर दिया और हिन्दू लोग इसमें बराबर पूजा करने लगे और
करते आ रहे हैं ।

4/धारा- यह कि प्रार्थी को कोई एतराज नहीं है कि गवर्नमेंट इस मस्सजिद
को हिन्दुओं को दे दे ।

प्रार्थी,

हसनू व० अलादीन सा० मोहल्ला कटरा

कन्धरपुर

गोड़ियाना शहर अयोध्या ।

ता० 8-2-50 ई० ।

आज इस दरखास्त को हसनू , नि० अं०- हसनू व० अलादीन
वली मोहम्मद ने दाखिल किया। नि० अं०-वली मोहम्मद

आदेश हुआ,

कि शामिल मिसिल हो।

8-2-50

पेपर सं०-48

न्यायालय श्रीमान् ज्वाइंट कमिश्नर महोदय फैजाबाद
बयान हलफ़ी मिन जानिब हसनू तथा वली मुहम्मद

राज्य बनाम मुसलिम अयोध्या तथा हिन्दू अयोध्या
मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी
थाना- अयोध्या ।

मांया कि हसनू वल्द अलादीन तथा वली मुहम्मद वल्द हसनू

उम्र 40

उम्र 18 वाँ

साकिनान मुहल्ला कटरा थाना अयोध्या तहसील व ज़िला फैजाबाद
हलफ़ से तसदीक करता हूँ कि -

दफा-1. यह कि बाबरी मस्जिद जन्मभूमि तोड़कर बनाई गई है ।

दफा-2. यह कि इस जमीन पर और मस्जिद के अन्दर हिन्दू तथा मुसलमान दोनों इबादत करते रहे । गदर के बाद मस्जिद के अन्दर मुसलमान जुमा के दिन नमाज पढ़ते रहे और बाहरी हाते में श्रीराम जी की मूर्ति की पूजा होती रही । मगर अलावा जुमा के हिन्दू लोग मस्जिद के अन्दर भी पूजा करते रहे ।

दफा-3. यह कि इस मस्जिद के बाबत अक्सर हिन्दू मुसलमानों में बलवा होता रहा। सन् 1934 के बलवे में मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया, मगर सब हिन्दू मुकदमे से बरी हो गये । इसके बाद मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़ना बन्द कर दिया और हिन्दू लोग इसमें बराबर पूजा करने लगे और करते आ रहे हैं ।

दफा-4. हम हसनू तथा वली मुहम्मद को कोई एतराज नहीं है कि गवर्नमेंट इस मस्जिद को हिन्दुओं को दे दे ।

नि० वली मोहम्मद

नि० हसनू

हम हसनू तथा वली मुहम्मद आद 8-2-50 को बमुकाम कचहरी
फैजाबाद हलफ से तसदीक करते हैं कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व
यकीन से सही व दुरुस्त है। न इसमें कोई बात छिपाई गई है और न कोई
बात झूठी है। खुदा मेरी मदद करे।

निशानी वली मुहम्मद नि०अं० हसनू

मैं हसनू तथा वली मुहम्मद को पहिचानता हूँ ।

लल्लनजी

अरायज नवीस

दीवानी फैजाबाद

8-2-50

पेपर सं0-49

श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

बयान तहरीरी निम्न आदेश-8 नियम-1जा0वि0सा0

राज्य

मुद्दई

बनाम

पुलिस अयोध्या मुद्दालेअहुम

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

बयान तहरीरी मिनजानिब पीरु वल्द बराती साकिन

मोहल्ला सरॉय चौक शहर अयोध्या जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ करते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद मतें इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन थाकि उस मस्जिद में जाने मतें उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

नि० अं० पीरु

ता०-

पेपर सं0-50

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी हस्ब आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी
राज्य बनाम मुसिला अयोध्या
मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मैं पीरु आयु 30 साल वल्द बराती साकिन सराय चौक शहर व
थाना व जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ -

धारा-1. यह कि राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान लोग मस्जिद में
नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन वहां करते
रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र
के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर
भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शहर के खिलाफ है ।

नि० अं० पीरु

मैं पीरु आज ता० 11-2-50 ई० को बमुकाम कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ कि मजमून मजहर मेरे इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

नि०अं०

पीरु

मैं पीरु को पहचानता हूँ।

सुरेश दत्त मिश्र बाखुद

पेपर सं०-51

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट साहब बहादुर फैजाबाद

द्वारा श्रीमान सुपरिन्टेंडेंट साहब जिला जेल फैजाबाद

सरकार

वादी

बनाम

अभयराम दास वगैरह

प्रतिवादीगण

धारा-145 बाबत जन्मभूमि मंदिर

श्रीमान जी,

सेवा में करबद्ध प्रार्थना है कि श्रीमान जी की अदालत में मेरा मुकदमा तारीख 11 मार्च सन् 52 ई को होना निश्चित था, लेकिन संयोगवश प्रार्थी को ता० 4 मार्च सन् 52 ई० को सेशन जज साहब के यहां 1 माह की कैद हो गई और इस समय प्रार्थी कारावास में बन्द है, अतः तारीख पेशी पर प्रार्थी हाजिर अदालत नहीं हो सकता, इस कारण आपसे प्रार्थना है कि मुकदमे की तारीख 14 अप्रैल सन् 52 ई० के बाद रखी जावे ताकि प्रार्थी अपने मुकदमे की पैरवी कर सकें या श्रीमान जी हमको जेल से तारीख पर तलब कर लें ।

Forwarded to the City Magistrate,

Faizabad for favour of necessary

action.

(Seal)

प्रार्थी

अभिराम दास

ता०-10-3-52 ई०

Superintendent,

District Jail, Faizabad

पेपर सं0-52

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुसिला अयोध्या
मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मैं मोहम्मद उमर आयु 30 साल वल्द वजीर साकिन न
वगजी शहर- अयोध्या, थाना- अयोध्या जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक
करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र
के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर

भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शहर के खिलाफ है ।

हस्ताक्षर/अपठनीय

मैं मोहम्मद उमर आज ता0 11-2-50 ई0 को बमुकाम
कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ
कि मजमून मजहर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर/ अपठनीय

मैं मुहम्मद उमर को पहिचानता हूँ।

ह0/सुरेश दत्त मिश्र

अर्जी नवीस

बा खुद .

पेपर सं0-53

श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

बयान तहरीरी निम्न आदेश-8 नियम-1जा0वि0सा0

राज्य

मुद्दई

बनाम

पुलिस अयोध्या

मुद्दालेअहुम

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

बयान तहरीरी मिनजानिब मोहम्मद उमर वल्द वजीर

साकिन मोहल्ला नवगज़ी शहर अयोध्या जिला

फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ करते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन थाकि उस मस्जिद में जाने मतें उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

मोहम्मद उमर

ह0/ अपठनीय

ता0- 11-2-50

पेपर सं0-54

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य

वादी

बनाम

मुसलिम अयोध्या

प्रतिवादीगण

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मैं अजीमुल्ला वल्द रजब उमर 45 साल साकिन छोटी दे
वकाली शहर- अयोध्या, थाना- अयोध्या जिला फैजाबाद हलफ से
तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र
के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से

उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शहर के खिलाफ है ।

नि०अं०/

मैं अजीमुल्ला उमर 45 साल आज बतारीख

13-2-50 नि०अं०/

बमुकाम कचेहरी फैजाबाद हलफ से

तसदीक करता हूँ

कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही

व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है

और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे

|

पेपर नं0-55

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य

मुद्दई

बनाम

मुसलिम अयोध्या

मुद्दालेअहुम

बयान तहरीरी मिनजानिब अजीमुल्ला पुत्र रजब
साकिन छोटी देवकाली अयोध्या, जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ करते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है।

धारा-5. यह कि उसी जमाने से हिन्दुओं मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी

अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-6. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

अजीमुल्ला

ता0 13-2-50

नि0अं0/

पेपर नं0-56

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य

वादी

बनाम

मुसलिम अयोध्या

प्रतिवादीगण

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मैं लतीफ वल्द अब्दुल अजीज उमर 22 साल साकिन सिंगार
हाट शहर- अयोध्या, जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र
के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है ।

नि०अं०/

मैं लतीफ उमर 22 साल आज बतारीख 13-2-
50 नि०अं०/ बमुकाम कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक

करता हूँ

कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
13-2-50 व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है

और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

पेपर नं0-57

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य

मुद्दई

बनाम

मुसलिम अयोध्या

मुद्दालेअहुम

बयान तहरीरी मिनजानिब लतीफ पुत्र अब्दुल अजीज
साकिन सिंगार हाट शहर अयोध्या, जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ करते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है।

धारा-5. यह कि उसी जमाने से हिन्दुओं मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी

अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-6. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

लतीफ

ता०

नि०अं०/

13-2-50

पेपर नं०- 58

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

बयान तहरीरी मिनजानिब मोहम्मद हुसैन व० वसाऊ सा०

मौ० मिरानपुर डेरावीवी शहर अयोध्या जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई० में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने मतें उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

ता० 14-2-50 ई०

प्रार्थी,

निसानी अंगूठा/ मोहम्मद हुसैन

वल्द वसाऊ मो० मिरानपुर डेरा

वीवी

शहर अवध ।

पेपर नं0-59

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी हस्ब आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी
राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या
मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मोहम्मद हुसैन उम्र 35 साल वल्द वसाऊ मोहल्ला मिरानपुर डेरावीवी
शहर अयोध्या जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ कि-

धारा-1. यह कि राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान लोग मस्जिद में
नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन वहां करते
रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र
के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर
भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर

हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है ।

मैं आज ता0 14-2-50 ई0को बमुकाम
कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ कि
मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही व दुरुरस्त
है, न इसमें कोई बात छिपाई गई और न कोई बात
झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

(उर्दू इबारात) 14-2-50 निसानी अं0/मोहम्मद हुसैन
लल्लनजी

पेपर नं0-61

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी हस्ब आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी
राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या
मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

अब्दुल जलील उम्र 19 साल वल्द अब्दुल वहीद सा0 मोहल्ला टेढ़ी
बाजार शहर अयोध्या अवध जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ
कि-

धारा-1. यह कि राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान लोग मस्जिद में
नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन वहां करते
रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र
के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर
भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है ।

मैं आज ता0 14-2-50 ई0को बमुकाम
कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ कि
मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त
है, न इसमें कोई बात छिपाई गई और न कोई बात
झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

(उर्दू इबारात)

14-2-50

निसानी अं0/(उर्दू इबारात)

14-2-50

पेपर नं0-60

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

बयान तहरीरी मिनजानिब अब्दुल जलील व0 अब्दुल
वहीद सा0 टेढ़ी बाजार शहर अवध जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाई गई ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर

हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

ता० 14-2-50 ई०

प्रार्थी,

अब्दुल जलील

नि० अं०/

14-2-50 ई०

In the Court of the Civil Judge, Faizabad

Copy of an order dated 3.3.51 passed by
Sri Bir Singh, Civil Judge, Faizabad in
Regular suit no. 2 of 1950.

Sri Gopal Singh Visharad

Versus

Zahoor Ahmad and others

In the Court of the Civil Judge, Faizabad

Regular Suit No. 2 of 1950

Sri Gopal Singh Vishard

Versus

Zahoor Ahmad and others

Order

The plaintiff Gopal Singh Visharad filed the present suit on 16.1.50 on the following allegations.

He is a sanatanist Hindu resident of Ajodhya. He has always worshipped and visited the idol of Shri Ram chandra installed at Janma Bhumi Ayodhya. On 14.1.50 he was prevented from entering Janma Bhumi and worshipping the idol aforesaid by the officers of defendant No. 6 at the baseless instance and unfounded instigation of defendants 1 to 5, thereby jeopardising his right to worship at Janma Bhumi. The defendants 7 to 9 who are the local officers of the defendant no. 6 are exercising undue pressure on the local Hindu public inducing them to refrain from visiting Jaham Bhumi. They are being actively helped in this direction by defendants 1 to 5, who are in collusion with defendants 7 to 9. Neither the defendant No. 6 has nor defendants 7 to 9 have any right to interfere in religious matters or obstruct the plaintiffs right to worship at Janam Bhumi.

The relief sought by him are :-

- (a) A declaration to the effect that he is entitled to worship and

visit without obstruction or disturbance Shri Bhagwan Ram Chandra and others installed at Asthan Janma bhumi, and

(b) A perpetual injunction restraining the defendants from removing the idols of Shri Bhagwan Ram Chandra and other installed at Asthan Janma Bhumi aforesaid.

He prayed per separate application supported by an affidavit for an interim injunction against the defendants pending the decision of the suit. Notices were issued to the defendants and an interim injunction was granted in the meanwhile on 16.1.50. Notices were served on defendants 7 to 9 on 16.1.50. The defendant no. 7 moved an application on 8.4.50 seeking clarification or modification of the ex parte order of injunction issued by me on 16.1.50.

Thereupon the following order was passed:-

“The parties are hereby restrained by means of temporary injunction to refrain from removing the idols in question from the site in dispute and from interfering with puja etc. as at present carried on. The order dated 16.1.50 stands modified accordingly.”

Defendants 1 to 5 (No. 1 Zahoor Ahmad, No. 2 Haji Pheku, No. 3 Mohd. Faiq No. 4 Mohd sami, No. 5 Mohd Achchan Miyan) filed objection against the interim injunction of 13.2.50 challenging it on the grounds that the disputed site was part of the Babri Mosque, which was built by Emperor Babar; that it has been in the use of the Muslims as a mosque ever since; that the Hindus never worshipped or performed any puja there; and that the idols at present on the site were recently planted they also pleaded that suit was defective for want of notice under section 80 C.P.C. No further objections were filed by the defendants 6 to 9 (6. Uttar Pradesh State, 7 Deputy Commissioner Faizabad, 8 City Magistrate Faizabad, 9 Superintendent of Police, Faizabad) by 25.3.50. The objections dated 13.2.50 came up for hearing on 25.3.50 and Sir Iqbal Ahmad on behalf of the defendants 1 to 5 in his able arguments referred to various features of the building and the

surroundings to support his contentions which were controverted on behalf of the plaintiff. This necessitated the issue of a commission to prepare a map of the building in question. On the date of the appointment of the commission, defendants 1 to 5 applied for taking of a photograph of building which were granted. Maps and photographs were accordingly prepared and now form part of the record.

The case came up for hearing again on when the District Govt. Council (representatives of defendants 6 to 9 adopted the contentions of defendants 1 to 5 and further pleaded that the suit is bad for want of notice under Section 80 C.P.C.Plea of Section 80 C.P.C. is open to defendants 1 to 5. 1942 Bombay 339 is a case in point. It can, however, certainly be raised by defendants 6 to 9 who place reliance on the well known case of Bhagchand Versus Secretary of State, reported in 1927 P.C. 176 on behalf of the plaintiff it is strenuously urged that Bhagchand's case has no application to the facts of the present case. He bases his argument on Krishna Swami Versus Syed Ahmad, reported in 136 I.C. 777 (1932) and other earlier cases. The decisions on the point are without doubt conflicting. It will, therefore, be premature to decide at this stage as to whether the suit is liable to be thrown out for want of notice under section 80 C.P.C.

For the purpose of these proceedings it has to be seen whether the plaintiff has a fair question to raise as to the existence of the right alleged, whether he is endanger of loosing that right and whether irreparable injury or inconvenience is likely to result to him, in case the injunction order is drawn. It is conceded on all hands that the idol in question were on the disputed site before filing of the suit. It further appears from the copies of a number of affidavits of certain muslims residents of Ayodhya that at least from 1936 onwards the muslims have neither used the site as a mosque nor offered prayers there and that the Hindus have been performing their puja etc. on the disputed site. Nothing has been pointed out to

discredit these affidavits, which along with the existence with the idols on the disputed site clearly show that the plaintiff has got the fair case to go to the trial. The defendants 1 to 5 rely on a number of documents to show that the building in dispute has always been mosque. It is not possible at this stage to anticipate any decision on this point because it will have to be decided after considering all the oral and documentary evidence that may be adduced by the parties in this case. The undisputed facts remains that on the date of the suit the idols of Shri Ram Chandra and others did exist on the site and that worship was being performed by the HindusThe affidavits referred to above does make out a prima facie case in favour of the plaintiff.

As to the balance of convenience, it is obvious that the effect of vacating the interim injunction at this stage is likely to deprive the plaintiff of the right claimed by him in the suit. Moreover, it is matter of admission between the parties that there are several other mosques in the Mohalla in question. The local muslims will not therefore, be put to much inconvenience if the interim injunction remains in force during the pendency of the case.

For these reasons, I hold that the status quo should be maintained.

Order

The interim injunction order dated 16.1.50 as modified on 19.1.50 shall remain in force until the suit is disposed off.

Sd. Bir Singh
Civil Judge
3.3.51

पेपर नं0-67

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य	बनाम	वादी
मुस्लिम अयोध्या		प्रतिवादीगण

बयान तहरीरी

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

(उर्दू इबारत)
ता0 14-2-50 ई0

प्रार्थी,
जान मोहम्मद
मोहल्ला कटरा शहर
अवध
नि0 अं0/

पेपर नं0-68

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य

वादी

बनाम

मुसलिम अयोध्या

प्रतिवादीगण

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मैं जान मोहम्मद वल्द हुसैनी उमर 40 साल साकिन मो0 कटरा
शहर त0व जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-

- धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है ।
- धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा ।
- धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन वहां करते रहे ।
- धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।
- धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।
- धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से उन लोगों की जान का खतरा है ।
- धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।
- धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

नि०अं०/जान मोहम्मद

मैं जान मोहम्मद उमर 40 साल आज 13-2-50

नि०अं०/जान मोहम्मद

बमुकाम कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता

हूँ

कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही

14-2-50

व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है

और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि अब्दुल सत्तार उम्र 30 साल वल्द शमशेर खां साकिन
मोहल्ला सैदवाड़ा शहर अवध त0व जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक
करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं अब्दुल सत्तार खां आज 16-2-50 बमुकाम
हस्ताक्षर/उर्दू

कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

ह0/उर्दू

16-2-50

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी मिनजानिब अब्दुल सत्तार खां उम्र 30 साल
वल्द शमशेर खां पठान सा0 मोहल्ला सैदवाड़ा शहर अवध त0 व जि0
फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर
जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने
पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे
।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन
बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद
मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू
बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों
को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है,
हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार
कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर
हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज

पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

3-11-50 ई०

ह०/अपठनीय

निसानी

2-7-56

अब्दुल सत्तार खां

(उर्दू इबारात)

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि अब्दुल गनी उम्र 40 साल वल्द अला बक्श कौम रईस
मोहल्ला बरगदहिया रामगंज फैजाबाद (जि0) शहर अयोध्या हलफ से
तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं अब्दुल गनी आज 16-2-50 बमुकाम नि0अं0

कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता

हूँ अब्दुलगनी

कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही

व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है

और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

(उर्दू इबारात)

निसानी अंगूठा अब्दुल गनी

16-2-50

पेपर नं0-72

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी मिनजानिब अब्दुल अब्दुल गनी उम्र 40 साल
व0 अलाबक्श कौम रईस सा0 मोहल्ला बरगदहिया रामगंज शहर अवध
जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर
जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने
पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे
।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन
बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद
मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू
बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों
को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है,
हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार
कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर
हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज

पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

3-11-50 ई०

अब्दुल गनी निसानी

ह०/अपठनीय

2-7-56

अब्दुल गनी

पेपर नं0-73

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि अब्दुल रोजीद उम्र 25 साल वल्द टुन्नू मोहल्ला
सरगद्द्वार शहर अयोध्या मौजा फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर

भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं आज 16-2-50 बमुकाम प्रार्थी
कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ रोजीद
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

16-2-50

(उर्दू इबारात)

निसानी रोजीद

16-2-50

पेपर नं0-74

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य

बनाम

मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी रोजीद उम्र 25 साल वल्द टुन्नू मोहल्ला
स्वर्गद्वार शहर अयोध्या मौजा फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर
जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने
पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे
।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन
बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद
मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू
बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों
को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है,
हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार
कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर
हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज
पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

धारा-6. मेरे परिवार में भाई और माँ भी हैं।

ता0 14-2-50

2-7-56

प्रार्थी,
निसानी रोजीद
ह0/अपठनीय

पेपर नं0-75

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि हौसलदार उम्र 60 साल वल्द घिराऊ नदाया सा0
मोहल्ला मातगैँड़ शहर अवध जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता
हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं आज 16-2-50 बमुकाम प्रैथी कचेहरी फैजाबाद
हलफ से तसदीक करता हूँ हौसलदार
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

16-2-50

(उर्दू इबारात)

निसानी हौसलदार

निसानी हौसलदार

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि रमजान उम्र 45 साल वल्द जुमन सा0 मोहल्ला कटरा
शहर अवध जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर

भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं आज 16-2-50 बमुकाम प्रार्थी

कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक

करता हूँ रमजान

कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही

व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है

और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

16-2-50

(उर्दू इबारात)

निसा0/रमजान

निसानी रमजान

नि0अं0/रमजान

पेपर नं0-78

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी मिनजानिब रमजान वल्द जुमन उम्र 45 साल
कौम सेख हाल साकिन मोहल्ला कटरा शहर अवध जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर
जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने
पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे
।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन
बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद
मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू
बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों
को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है,
हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार
कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर
हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज
पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

धारा-6. मेरे परिवार में मेरी माँ है ।

ह0/अपठनीय
2-7-56

प्रार्थी,
निसानी
रमजान

पेपर नं0-79

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि गुल्ले खाँ उम्र 55 साल वल्द नवाब अली सा0
मोहल्ला रायेगंज शहर अवध जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता
हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर

भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं आज 16-2-50 बमुकाम प्रार्थी
कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ गुल्ले खाँ
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

16-2-50

(उर्दू इबारत)

नि0/गुल्ले खाँ

निसानी गुल्लेखाँ

पेपर नं०-80

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

मनकि गुल्ले खाँ उम्र 55 साल वल्द नवाब अली सा०
मोहल्ला रायेगंज शहर अवध जिला फैजाबाद ।

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई० में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

धारा-6. मेरे परिवार में मेरी माँ है ।

ह0/अपठनीय
2-7-56

प्रार्थी,
निसानी
गुल्ले खाँ

ता0 16-2-50 ई0

नि0अंगूठा/

पेपर नं0-81

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि मोहम्मद इस्माइल उम्र 35 साल सा0 चौक सराय,
फैजाबाद शहर अवध जिला फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-
धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।
धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।
धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।
धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।
धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।
धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।
धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर
भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं आज 16-2-50 बमुकाम प्रार्थी
कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ मोहम्मद
इस्माइल
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

16-2-50

(उर्दू इबारत)

(उर्दू इबारत)

उर्दू इबारत

पेपर नं0-82

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी मिनजानिब मोहम्मद इस्माइल उम्र 35 साल
वल्द ईदू कौम सेख अनसारी, चौक सराय, जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर
जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने
पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे
।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन
बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद
मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू
बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों
को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है,
हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार
कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर
हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज
पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

धारा-6. मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं ।

प्रार्थी,
मोहम्मद इस्माइल

ह0/अपठनीय
निसानी -मोहम्मद इस्माइल
2-7-56

ता0 16-2-50 ई0 (उर्दू इबारात)

पेपर नं0-83

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि अब्दुल सकूर उम्र 30 साल वल्द ईदन कौम सेख सा0
मोहल्ला उरदू बाजार शहर अयोध्या जि0 फैजाबाद हलफ से तसदीक
करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर

भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं अब्दुल सकूर आज ता0 16-2-50 बमुकाम निसानी
अंगूठा/अब्दुल सकूर कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

निसानी अंगूठा/अब्दुल सकूर
(उर्दू इबारात)

16-2-50

पेपर नं०-84

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

मनकि अब्दुल सकूर उम्र 30 साल वल्द ईदन कौम सेख सा० मोहल्ला उरदू बाजार शहर अयोध्या जि० फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई० में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज

पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

अब्दुल शकूर

ह0/अपठनीय

2-7-56

निसानी/अब्दुल शकूर

पेपर नं0-85

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य

बनाम

मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी मिनजानिब अब्दुल रज़ाक उम्र 30 साल वल्द वजीर कौम सेख सा0 राज सदन अयोध्या जी मोहल्ला रायेगंज अवध जिला फैजाबाद - धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे ।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई0 में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है, हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,

अब्दुल रज़ाक

ता०- 16-2-50 ई०

निसानी/अब्दुल रज़ाक

पेपर नं0-86

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हल्फी आर्डर 19 रूल-1 जाब्ता दीवानी

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जाब्ता फौजदारी

मनकि अब्दुल रज़ाक उम्र 30 साल वल्द वजीर कौम सेख
मोहल्ला सा0 राज- सदन अयोध्याजी सा0 मो0 राईगंज बाजार शहर
अयोध्या जि0 फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ-

धारा-1. यह कि राम जन्म भूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है
।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद श्री हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा ।

धारा-3. यह कि नवाबों के जोर से सिर्फ शुक्र के दिन मुसलमान लोग
मस्जिद में नमाज पढ़ पाते थे और हिन्दू लोग बराबर अपनी मूर्ति का पूजन
वहां करते रहे ।

धारा 4. यह कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी मुसलमान लोग सिर्फ शुक्र के
दिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-5. यह कि सन् 1934 में हिन्दू मुसलमान झगड़े के बाद मुसलमानों
का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू बलवाई
3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये ।

धारा-6. यह कि मुसलमानों को यह यकीन था कि मस्जिद में जाने से
उन लोगों की जान का खतरा है ।

धारा-7. यह कि हिन्दुओं ने भी उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर

भी अपना अधिकार कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हैं ।

धारा-8. यह मुजहिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मस्जिद पर हिन्दुओं का अधिकार कायम रखा जाये क्योंकि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानों की शरह के खिलाफ है।

मैं अब्दुल सकूर आज ता० 16-2-50 बमुकाम निसानी
अंगूठा/अब्दुल रज़ाक कचेहरी फैजाबाद हलफ से तसदीक करता हूँ
कि मजमून मजकूर मेरे इल्म व यकीन से सही
व दुरुस्त है, न इसमें कोई बात छिपी गई है
और न कोई बात झूठी है, खुदा मेरी मदद करे ।

निसानी अंगूठा/अब्दुल रज़ाक
(उर्दू इबारात)

16-2-50

पेपर नं0-87

वकालतनामा

राज्य बनाम 1. हिन्दू जनता)
2. मुस्लिम जनता) अयोध्या

दफा-145 जा0 फौजदारी
थाना- अयोध्या

दावा 145 जा0 फौ0

हम अभिरामदास चेला श्रीनागा जमुनादास इत्यादि व बाबू गोपाल सिंह वल्द ठा0 गिरधारी सिंह इस वकालतनामा के जरिये से वकील ठा0 सूर्यपाल सिंह व बाबू राधाचरन व पं0 श्रीराम वल्द रामनाथ सेंगर व बाबू बिन्देश्वरी प्र0 व बाबू मदन मोहन, इस मुकदमा की सम्पूर्ण पैरवी के लिए नियुक्त करते हैं । वकील साहबान को सम्पूर्ण अधिकार बयान तहरीरी व तकरीरी पैरवी करने को देते हैं ।

अतः यह वकालतनामा लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे ।

ह0/ अभिरामदास पुजारी जन्मभूमि
अयोध्या जि0 फैजाबाद।

पेपर नं०-88

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या
मुकदमा दफा 145 जा० फौ०

नसीबदार वल्द जहान सा० मुहल्ला सुटेहटी अयोध्या उमर 25 साल

कौम मुस्लिम नाऊ प० हवेली अवध जि० फैजाबाद

दफा-1. यह कि बाबरी मस्जिद मंदिर जन्म भूमि मुंहदिम कराके उसी मुकाम पर उसी मंदिर के मलवा से जबरन बनवाई गई है जिससे उस मस्जिद की नमाज कबूल खुदा नहीं होती।

दफा-2. यह कि मस्जिद बाबरी में अहले हिन्दू हुकूमत इस्लामिया में भी परसतिस बराबर करते रहे और कभी- कभी अहले इस्लाम भी नमाज पढ़ लेते रहे ।

दफा-3. यह कि सन् 34 ई० में हिन्दू मुसलमान अयोध्या में मजहबी बल वा हुआ ,जिसमें अहेले हिन्दू जिन पर मुकदमा चला, मुकदमा से बरी हो गये ।

दफा-4. यह कि इन लोगों को सन् 34ई० के बलवा में पता चला कि अहेले हिन्दू और अहेले इस्लाम अयोध्या में बाबरी मस्जिद की वजह से जो कि श्रीराम चन्द्र जी के जन्मभूमि पर बनी है तफरुफा व नफरत रखती है और चूँकि हम लोगों को अहेले हिन्दू से मिलकर रहना था, इसलिए मस्जिद बाबरी को हम लोगों ने वर्क कर दिया और हिन्दुओं का तनहा कब्जा हो गया और वही तब से बराबर मस्जिद मजकूर में परसतिश करते रहे हैं ।

दफा-5. यह कि बाबरी मस्जिद अब हिन्दुओं की जन्मभूमि है, हम मुसलमानों को इससे कोई वास्ता नहीं है, उसकी बाबत अहेले इस्लाम व

अहेले हिन्दू में कोई नजा नहीं है ।

दफा-6. हमें खुशी है कि बाबरी मस्जिद हिन्दुओं की मिल्कियत मकबूजा करार दी जावे ।

ह0/अपठनीय

नसीबदार व0 जहान सा0

सुटेहटी अयोध्या

नि0अं0/

ता0- 24-2-50

2-7-56

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद
बयान हलफी हस्ब आर्डर19 कायदा 1 जाब्ता दीवानी

राज्य

बनाम

मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145 जा0 फौ0

नसीबदार वल्द जहान सा0 मुहल्ला सुटेहटी अयोध्या उमर 25
साल कौम मुस्लिम नाऊ प0 हवेली अवध जि0 फैजाबाद

मुजहिर हस्ब जैल उजहार करता है ,

दफा-1. यह कि बाबरी मस्जिद मंदिर जन्म भूमि मुंहदिम कराके उसी
मुकाम पर उसी मंदिर के मलवा से जबरन बनवाई गई है जिससे उस
मस्जिद की नमाज कबूल खुदा नहीं होती।

दफा-2. यह कि मस्जिद बाबरी में अहेले हिन्दू हुकूमत इस्लामिया में भी
परसतिस बराबर करते रहे और कभी- कभी अहेले इस्लाम भी नमाज पढ़
लेते रहे ।

दफा-3. यह कि सन् 34 ई0 में हिन्दू मुसलमान अयोध्या में मजहबी बल
वा हुआ ,जिसमें अहेले हिन्दू जिन पर मुकदमा चला, मुकदमा से बरी हो
गये ।

दफा-4. यह कि इन लोगों को सन् 34ई0 के बलवा में पता चला कि
अहेले हिन्दू और अहेले इस्लाम अयोध्या में बाबरी मस्जिद की वजह से
जो कि श्रीराम चन्द्र जी के जन्मभूमि पर बनी है तफरुफा व नफरत रखती
है और चूँकि हम लोगों को अहेले हिन्दू से मिलकर रहना था, इसलिए
मस्जिद बाबरी को हम लोगों ने वर्क कर दिया और हिन्दुओं का तनहा
कब्जा हो गया और वही तब से बराबर मस्जिद मजकूर में परसतिश

करते रहे हैं ।

दफा-5. यह कि बाबरी मस्जिद अब हिन्दुओं की जन्मभूमि है, हम मुसलमानों को इससे कोई वास्ता नहीं है, उसकी बाबत अहेले इस्लाम व अहेले हिन्दू में कोई नजा नहीं है ।

दफा-6. हमें खुशी है कि बाबरी मस्जिद हिन्दुओं की मिल्कियत मकबूजा करार दी जावे ।

निसान अंगूठा

नसीबदार

मैं नसीबदार मुक़िर हूँ कि दफा-1 से लेकर दफा-6 तक बाइल्म हमारे सही और दुरुस्त है, खुदा मेरी मदद करे, तसदीक बमुकाम कचहरी फ़ैजाबाद में ता0 24-2-50 .

(उर्दू इबारात)

ता0- 24-2-50

पेपर नं०-76

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य बनाम मुस्लिम अयोध्या

मुकदमा दफा 145

बयान तहरीरी मिनजानिब हौसलदार उम्र 60 साल वल्द
घिराऊ कौम नदाफ सा० मोहल्ला मातगेंड शहर अयोध्या जिला फैजाबाद

धारा-1. यह कि जिस स्थान पर इस समय बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर
जन्मभूमि मंदिर था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है ।

धारा-2. यह कि मस्जिद बनने के बाद भी हिन्दुओं ने अपना कब्जा नहीं
छोड़ा और सिर्फ नवाबों के जोर से शुक्र के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने
पाते थे और हिन्दू लोग बराबर वहां पर अपनी मूर्ति का पूजा पाठ कराते थे
।

धारा-3. यह कि बाद अंग्रेजी हुकूमत के भी मुसलमान सिर्फ शुक्र के दिन
बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे ।

धारा-4. यह कि सन् 1934 ई० में हिन्दू मुसलमान के झगड़े के बाद
मुसलमानों का जाना बाबरी मस्जिद में इस वजह से बन्द हो गया कि हिन्दू
बलवाई 3 मुसलमानों के कत्ल करने पर भी बरी हो गये और मुसलमानों
को यह यकीन था कि उस मस्जिद में जाने में उनको जान का खतरा है,
हिन्दुओं ने उसी जमाने से मस्जिद के मुख्य स्थान पर भी अपना अधिकार
कर लिया और तब से बराबर कब्जा किये हुए हैं ।

धारा-5. यह कि प्रार्थी को कोई उजर नहीं है कि बाबरी मस्जिद पर

हिन्दुओं का कब्जा बहाल रखा जावे, उस वास्ते कि उस स्थान पर नमाज पढ़ना मुसलमानी शरह के खिलाफ है ।

प्रार्थी,
निसानी अं०/हौसलदार

ता०- 16-2-50

145 CR.P.C.
IN VOL. 1 & II
VOL-II PAGE 133-322

The reply of other connected papers have been submitted to the Deputy Commissioner in the English Dak on 18.3.50.

.....
City Magistrate
Faizabad.

From-

Shri K.S. Varma, B.A., LL.B.,
Depty Registrar, High Court of
Judicature at Allahabad,
Post Box. No. 23.

To,

The District Magistrate,
Faizabad.

CrI. Misc. 208-50
No. 3220/dated/ April 1950.

Criminal Miscellaneous No. 208-1950

Anisur Rahman Versus State.

Case under Section 145 Cr.P.C., pending in the Court
of the Addl., City Magistrate, Faizabad.

Sir,

I am directed to invite your attention to the Court's
letter No. 2388, dated 9.3.50, enclosing therewith copies of
application and affidavit filed in the case noted on the margin and to
ask you kindly to submit with the least possible delay your
explanation as well as of the learned Additional City Magistrate.

Yours faithfully,

Deputy Registrar.
3.4.50

From-

Shri K.S. Varma, B.A., LL.B.,
Depty Registrar, High Court of
Judicature at Allahabad,
Post Box. No. 23.

To,

The District Magistrate,
Faizabad.

CrI. Misc. 208-50
No.2388 /dated/ 9th March, 1950.

Criminal Miscellaneous No. 208-1950

Anisur Rahman Versus State.

Case under Section 145 Cr.P.C., pending in the Court
of the Addl., City Magistrate, Faizabad.

Sir,

I am directed to invite your attention to the Court's
letter No. 2388, dated 9.3.50, enclosing therewith copies of
application and affidavit filed in the case noted on the margin and to
ask you kindly to submit with the least possible delay your
explanation as well as of the learned Additional City Magistrate.

Yours faithfully,

Deputy Registrar.
11.3.50

In the High Court of judicature at Allahabad.

**Criminal Transfer Application no. 208 of 1950
under Section 526/528 Cr.P.C. pending in the
court of the city Magistrate Faizabad.**

Anisur Rahman son of Moulvi Vaziruddin caste Syed
resident of Mohalla Begampara, Ajodhya (Faizabad)

..... Applicant

Versus

Rex
Party

..... Opposite

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his Companion Judges of
the aforesaid Court.

The humble petition of the applicant abovenamed most
respectfully showeth:-

That for the reasons disclosed in the accompanying affidavit
it is respectfully prayed that the criminal case No. of 1949 Rex
Vs. Anisur Rahman under Section 145 Cr.P.C. pending in the court
of the Additional City Magistrate, Faizabad be transferred to some
other court of competent jurisdiction outside the district of Faizabad
and further proceedings of the case be stayed meanwhile.

Note: Stay order be sent to the court of the Addl. City Magistrate,
Faizabad in the said case.

Sd. M.A. Kazmi
Counsel for Applicant.

Dated 2.2.50

In the High Court of Judicature at Allahabad.

Affidavit

in

Criminal Misc. No. 208 of 1950.

Anisur RahmamApplicant.

Versus

Rex opposite party

Affidavit of Anisur Rahman son of

Moulvi Wazirruddin, caste

Syed

resident of Mohalla

Begampara,

Ajodhya, Faizabad.

I, Anisur Rahman aforesaid solemnly affirm and state as follows:-

- 1) That I am the sole applicant in this application and am fully acquainted with the facts deposed below.
- 2) That in Ajodhya there is a historical mosque built by Emperor Babar in 1528 A.D. Called the Babari mosque which has got a grant attached to it and is registered under the Waqf Act and the courtyard of the mosque is separated by a wall from small temple which is situated to its East.
- 3) That Hindus and muslims of Ajodhya have been peacefully and calmly carrying on their worship in the temple and prayers in the mosque respectively from times immemorial.
- 4) That on the 9th. Of November, 1949 it was found that two tombs and about 25 graves which lay outside the compound of the Babari mosque had been levelled down and the mosque in the cemetery known as the "Qanati" mosque had been dug up and a new platform adjacent to the aforesaid mosque was constructed and an idol placed on that platform.
- 5) That from 22.11.1949 the Hindus of the place started their 'Jap' (worship) on that place in which a large number of Hindus

were collected and for that reason the police advised the muslims not to say their prayers in the surviving Babari mosque all the 5 times while the 'Jap' continued but confine it to Fridays only. In order to avoid a communal clash the muslims acted on the advice and continued to say their prayer every Friday up to December 16, 1949. Except for the Friday prayers the mosque used to be kept locked and guarded by the Police.

6) That on the night preceding the next Friday, namely the night between 22nd and 23rd December, 1949 the Hindus surreptitiously and clandestinely introduced an idol inside the mosque itself and put it on the “Member” (pulpit). Pandit Ram Deo Dubey Sub-Inspector Incharge of Ajothya made the following report of the incident on 23rd December, 1949:

“On information received through Mata Prasad constable No. 1 when I reached the spot at about 7 in the morning., I learned that a crowd of 50 or 60 persons broke the locks which were put on the compound of the Babri Mosque, and by climbing the walls by ladders illegally entered into (“madakhilat”) the mosque and have placed the idol of Shri Bhagwan and have written on the walls inside and outside Sita Ramji etc. in red and yellow. Constable no. 2 Hansraj who was on the duty prohibited them but they did not heed. He called the P.A.C. Guard for help which was there, but by that time all the persons had entered the mosque, High Officers of the District came to the spot and engaged themselves in management. Afterwards a crowd of 5000 collected and raised religious slogans and performed “Kriten” and wanted to go inside but nothing untowards happened due to proper arrangements. Abhey Ram Dass, Ram Shukul Dass, Sheodarshan Dass and 50 or 60 other persons whose names are not known have committed riot, trespassed into the mosque and have installed an idol in the mosque and have thus polluted (“napak”) the mosque. The police men on duty and many others have been this incident and this check has been prepared.

- 7) That the muslims of the vicinity were at that time persuaded by the authorities not to say their prayers that Friday. When the muslims made a representation on 6th January 1950 they were again asked not to say their prayers for some time to come.
- 8) That in the meantime the District authorities instead of helping the muslims of the vicinity in getting back their mosque have issued notice on 29th December, 1949 under Section 145 Cr.P.C.
- 9) That in spite of the fact that all the matters have been within the knowledge of the authorities and the police guard has been posted on the spot since 12th November, 1949, and their strength was increased by posting an armed guard on 22nd November, 1949, the above mentioned incidents have taken place. They have created a tremendous sensation not only in Ajodhya but also in the town and District Faizabad.
- 10) That it is the petitioner's case that the District authorities are not free from communal bias and are rendering direct and indirect assistance to the pass on the mosque. The petitioner apprehends that he cannot have a fair and impartial trial in that district.
- 11) That Ajodhya being a town with a large Hindu population the authorities appear to be wholly overwhelmed.
- 12) That Shri K.K.K. Nayer the present Deputy Commissioner of Faizabad has acquired a plot of land on a long lease for building purposes in the name of his wife Shrimati Shakuntala Nayer in Ajodhya proper by means of a registered deed dated 7.6.1967 and probably desires to be a resident of Ajodhya. He cannot therefore, go against the wishes the local people of the Hindu Majority of the place, and the applicant apprehends that he can havejustice at their hands.
- 13) That the learned Additional City Magistrate, Faizabad Shri Markande Singh has attached the mosque and put in the charge of Shri Priya Dat Ram who has beenan active part in the present

agitation there. In original order he went to the length of ordering Receiver to arrange for the worship in thenearly as possible as at present but subsequently scored it out.

14) That the local authorities are persisting in of these proceedings and thus affording opportunity for the continued misuse of the mosque there is no apprehension of any breach of the muslims are exhibiting a remarkableconnection and in spite of the institution suit in that connection in the court of the Judge, Faizabad, which is registered as In this suit even a temporary injunction has been issued against (1) Zahoor Ahmad (2) Haji Pheku (3) Haji Mohd. Faiq (4) Mohd. Sami (5) Mohd. Achchan (6) U.P. Govt. (7) Shri K.K.K. Nayer, District Magistrate, Faizabad. (8) Chaudhari Kirpal Singh S.P. and (9) Shri Markande Singh City Magistrate, Faizabad on 16.1.1950 as under:-

“Issue notices. Issue interim injunction in the meanwhile as prayed. The defts should also be informed that a temporary injunction has already been issued exparte.”

The prayer in the application for injunction is as follows:-

“Therefore the applicant prays that a temporary injunction be issue against the defts to the effect that they should not remove the idols of Shri Bhagwan Ram Chandra & others from Asthan Janam Bhum the details of which are given in the till the decision of the case, and they further be ordered not to close the Ramesh Dwar and other passages of ingress and egress to the visitors and also that they should not place any obstacle in the Puja and Darshan.”

15) That the entire atmosphere in Ajodhya and Faizabad is surcharged with communalism and in view of the highly strained relations between the two communities and also the district authorities not being free from communal bias neither Ajodhya nor Faizabad would be a proper place for the inquiry under section 145 Cr.P.C. proceedings and the life of the witnesses of the applicant

would not be safe, as is being demonstrated by the activities near the Babri mosque.

16) That the contents of paras 1 to 15 of this affidavit are true to my personal knowledge and belief, nothing has been concealed and no part of it is false. Sd.

Illegible

D.M.

With reference to your order dated 11.3.50 on theof the Deputy Registrar in connection with the Crl. Misc. No. 208/50 Anisul Rehman Vs. State, I beg to offer my explanation parawise as follows:-

1. I have no knowledge regarding allegations contained in paras 1,2,3,4,5 & 7 of the affidavit filed by Shri Anisul Rehman and therefore I am not in a position to say anything about them.

2. I am not in a position to note any comment on the allegation in para 6, since the matter referred to therein are the the subject of a proceeding pending before me.

3. Regarding allegations contained in para 8, I beg to say that on being satisfied from credible sources that a dispute likely to lead to a breach of the peace between Hindus & Muslims in Ayodhya over the question of rights of proprietor ship & worship in the buildings claimed variously as Babri Masjid & Janam Bhumi Mandir, I passed an order u/s 145 Cr.P.C. and attached the said building. The parties were called upon to put in written statement of their respective claims with regard to the fact of actual possession of the subject of the dispute. As a matte of fact the order u/s q45 Cr.P.C. was meant to check an imminent breach of the peace.

4. Regarding allegations contained in para 9 I have to say that it is not clear what matters are alleged to have been within the knowledge of the authorities and therefore no explanation is possible. If however, it refers to existence of tension between the two communities on account of the building in dispute, Section u/s 145 Cr.P.C. was appropriately taken and it had the desired effect of

preventing breach of peace.

5. The allegations in para 10 of the affidavit are vague & baseless and are denied.

6. With regard to the contents of para 11, I beg to state that it is a fact that Ayodhya has a large Hindu population, but it is wholly incorrect that the authorities were overwhelmed by the Hindus.

7. I have learnt that a Nazul plot in Ayodhya was acquired sometime ago by Shrimati Nayar, but I have no information that Shrimati Nayar acquired it for her. In this connection it may be worthwhile to mention that Shri Nayar is no more the District Magistrate of Faizabad.

8. As regards contents of para 13, I beg to say that the said buildings were attached & put incharge of Shri Priya Dutt Das. It is incorrect to say that he has been taking active part in the agitation. The alleged portion of my order scored out before signing and promulgating it, is, in no sense, a part of my order. I may, however, and that this portion was scored out as the time of signing the order as I felt that it was superfluous.

9. As regards contents of para 14, the court is equally eager to dispose of this case as speedily as possible. The case was stayed when the petitioner applied for the stay of the proceedings.

10. As for the allegations of para 15 I have to say that the allegations are unfounded, incorrect and unjustified.

(Markandeya Singh)
CityMagistrate, Faizabad.
5-4-1950

No. 1234/XV-37-9

Dated 6.4.50

From

Shri J.N. Ugra,
District Magistrate,
Faizabad.

To

The Deputy Registrar,
High Court of Judicature at Allahabad.
Post Box No. 23.

Sir,

With reference to your letter No. CrI. Misc. 208-50. 2320 dated April 1, 1950 I have the honour to forward the explanation of the city Magistrate Shri Markandeya Singh who is seized of the case u/s 145 Cr.P.C.

With regard to my own explanation, I have to submit that I have taken over charge as District Magistrate, Faizabad on the afternoon of 14th March 1950 and have had nothing to do with the case at any stage.

Yours faithfully,

District Magistrate.

पेपर नं०-101

न्यायालय श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय फैजाबाद

राज्य

अभियोगी

विपरीत

अभयराम दास तथा अन्य

विपक्षी

अभियोग धारा-145 दण्ड विधि संहिता के अनुसार

लिखित कथन श्री अभयराम दास की ओर से

पेशी दिनांक- 29-12-50 ई०

धारा-1. यह कि सूचना:नोटिस: जो धारा 145 दण्ड विधि संहिता के अधीन प्रवृत्त हुई है, व अवैध तथा अनुचित है ।

धारा2. यह कि धारा-1 कथित सूचना:नोटिस:किसी व्यक्ति विशेष के नाम न होने के कारण अवैध व अनियमित तथा अमान्य है ।

धारा-3. यह कि सूचना दिनांक 29-12-49 के प्रवृत्त होने के पूर्व तथा उसके पश्चात मंदिर जन्म भूमि तथा एतत्सम्बन्धी भूमि या भवन के विषय में शांति भंग की आशंका अथवा भय न था और न है, ऐसी दशा में कार्यवाही धारा-145 दण्ड विधि संहिता के अनुसार सर्वथा असंगत तथा अनावश्यक है ।

धारा-4. यह कि मंदिर जन्मभूमि तथा एतत्सम्बन्धी भवन व भूमि पर सम्बत् 1934 ई० से वैणव मतानुयायी हिन्दू मात्र को भोगाधिकार पुजारी मुझ उत्तरदायी तथा अन्य सहकारी पुजारियों द्वारा अद्यावधि निरन्तर अक्षुण रूप से चला आता है, अन्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा सम्प्रदाय विशेष का भोगाधिकार इस अवधि के भीतर कभी नहीं रहा है और न सम्प्रति है ।

धारा-5. यह कि जो-जो व्यक्ति विशेष अथवा सम्प्रदाय विशेष अपना अधिकार कथन करते प्रतीत हों, उनका अभियोग पक्ष बनाना अति आ

वश्यक था, किन्तु ऐसा न होने के कारण समस्त कार्यवाही अवैध तथा निराकरण योग्य है ।

धारा-6. यह कि यह निर्विवाद विषय है कि विवादास्पद भूमि के बाहर कुछ भूमि व भवन निर्मोही अखाड़ा की सम्पत्ति है और उस पर उनका निर्विघ्न भोगाधिकार आज भी है ।

धारा-7. यह कि सम्वत् 2006 विक्रमी के पूर्व से विवादास्पद मंदिर पर पूजा एवं राग भोग मुझ उत्तरदायी प्रतिवादी द्वारा साधारणतया समस्त हिन्दू जनता की सहायता से तथा विशेषतया वैणव सम्प्रदाय के हिन्दू मात्र की सहायता से सम्पादन हो रहा है ।

धारा-8. यह कि सम्वत् 1935 से अद्यावधि कोई मुसलमान विवादास्पद भूमि के भीतर नहीं आता-जाता और न कभी कोई मुसलमान उस अवधि के भीतर उक्त भवन के भीतर ईश्वर प्रार्थना किया है ।

धारा-9. यह कि कतिपय कलहप्रिय तथा ाडयन्त्रकारी मुसलमानों के दुराग्रह से कुछ राजकीय कर्मचारीगण ने मुसलमानों को मंदिर में प्रार्थना करने के निमित्त प्रवेश कराने का प्रयत्न किया और मंदिर स्थित मूर्ति को भी हटवाने की कुचेता की और असफल रहे , कारण कि सिविल जज महोदय के न्यायालय में वाद प्रस्तुत हो गया और नौघ आज्ञा भी प्रवृत्त हो गई ।

धारा-10. यह कि उपरोक्त कथनानुसार समस्त कार्यवाही धारा-145 दण्ड विधि संहिता अनुसार जो की जा रही है, वह सर्वथा अनुचित व अवैध है और निरस्त होना चाहिए । मुझ उत्तरदायी का भोगाधिकार पूर्ववत् स्थापित रहना चाहिए ।

प्रार्थी,

बाबा अभयराम दास

विपक्षी

दिनांक 29 दिसम्बर सन् 1950 ई०

ह०/अभिराम दास

न्यायालय श्रीमान नगराधीश महोदय फैजाबाद

ता० पेशी 27-9-50 ई०

स्टेट मुद्दई/ प्रार्थी
बनाम
नामालूम विपक्षीगण
वादपत्र निम्न धारा- 145 जा० फौजदारी

लिखित बयान बाबा बल्देव दास चेला महन्त मोहनदास पंच निर्मोही
अखाड़ा व पुजारी मंदिर जन्मभूमि सा० मोह० राम कोट शहर अ
वध.

धारा-1. यह कि मंदिर जन्मभूमि तथा वह भूमि जिस पर मंदिर स्थित है,
मिलिकियत अखाड़ा निर्मोही महन्थ निर्मोही व पंचान अखाड़ा के अधिकार
के अधीन है और वही उस पर बराबर काबिज चले आते हैं ।

धारा-2. यह कि नोटिस दिनांक 29-12-49 अवैध और नाजायज है ।

धारा-3. यह कि नोटिस 145 धारा के अधीन किसी व्यक्ति विशेष के नाम न
होने के कारण नाजायज है ।

धारा-4. यह कि 29-12-49 तथा उसके पूर्व किसी शांति भंग बहोने का
कोई भय मंदिर जन्मभूमि या उससे सम्बन्धित भूमि या भवन के सम्बन्ध में
नहीं था और न अब है, अतः धारा 145 सर्वथा अनुपयुक्त है ।

धारा-5. यह कि जो व्यक्ति मंदिर जन्म भूमि या उससे संबंधित भवन
इत्यादि पर अपना कब्जा चाहते हों या जिनको ऐसे कब्जे से वंचित रखना
हो, उनका मुकदमा में फरीक होने आवश्यक है और ऐसा न होने पर
नोटिसय तथा उसके बाद की सब कार्यवाही नाजायज और कानून के वि

विरुद्ध है और तत्काल भंग कर देने के योग्य है ।

धारा-6. यह कि कुल भूमि व भवन ,जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है, निर्मोही अखाड़ा की मिल्कियत है और वही अखाड़ा उस पर 12 वर्ग से अधिक से काबिज है ।

धारा-7.यह कि प्रार्थी अखाड़े की ओर से चैत 2006 से बहैसियत पुजारी मंदिर का पूजा-पाठ राग भोग और वहां स्थित साधुओं और अन्यागतों की सेवा करता चला आता है और कम से 5 साधु 3 पुजारी 2 रसोइया और एक पंच निर्मोही अखाड़ा हमेशा वहां पर रहते हैं और उस विशाल भवन में रहते और सोते हैं,ज जो मंदिर की चहारदीवारी के पश्चिम तरफ स्थित है।

धारा-8. यह कि सन् 1935 या 1936 से कभी कोई मुसलमान इस मंदिर के अन्दर जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है, नहीं आता है और न वह स्थान इस बीच में कभी नमाज के लिए इस्तेमाल किया गया ।

धारा-9. यह कि कुछ मुसलमानों के दुराग्रह से कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मुसलमानों को मंदिर के अन्दर नमाज पढ़ाने का प्रयत्न किया और मंदिर में मूर्तियाँ जो वहां विराजमान हैं, उन्हे हटाने की दुश्चेटा की,जिसके विरुद्ध यू0पी0सरकार तथ उसके कर्मचारियों और उन मुसलमानों पर जिनके दुराग्रह से अन्यायपूर्ण आचरण सरकारी कर्मचारियों का , दीवानी में दायर कर दिया गया है, जो सिविल जज महोदय के इजलास पर चल रहा है, अतः कार्यवाही 145 धारा के अधीन अनावश्यक और निरर्थक है, भंग कर देने योग्य है ।

धारा-10. यह कि किसी मंदिर या मस्जिद में पूजा व नमाज इत्यादि के झगड़े के लिए धारा-145 सर्वथा अनुचित और नियम विरुद्ध है ।

अतः प्रार्थना है कि नोटिस दिनांक 29-12-49 खारिज किया जावे

॥

तरफसील चौहद्दी मंदिर जन्म भूमि वाके मोहल्ला राम कोट शहर

अयोध्या:

पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
परती	सड़क	परती

प्रार्थी,

बाबा बलदेव दास

ह0./बलदेव दास

दिनांक: 27-9-50ई0/

29-12-50

पेपर नं०-105

न्यायालय जनाब सिटी मजिस्ट्रेट साहब फैजाबाद

दरख्वास्त हस्ब दफा 145 जा० फौ०

राज्य मुस्तमीस 1.अहले हिन्दू अयोध्या- फरीक अब्बल
2.मुसलमानान अयोध्या- फरीक दोम

श्रीमान जी, सेवा में निवेदन है कि इमारत मुतदाविया मसाजिद बाबरी शहनशाह आजम आवीमाह फिरदौस मुक्राम बाबर शाह मरहूम की तामीर करदा है जिसको शहनशाह आजम मज़कूर ने सन् 1528 ई० में तामीर कराके मुसलमानों के लिए वक्फ़े आम कर दिया जिसमें आम मुसलमानों को हक़े इबादत हासिल है हम सायलान अयोध्या निवासी हैं और मसाजिद मज़कूर यानी इमारत मुतनाज़िया में मुसलमानान बहक बिना किसी रोक टोक दिसम्बर सन् 1949 ई० तक बराबर नमाज अदा करते रहे हैं और इस तरह से आम मुसलमानों और, और सायलान का कब्जा व दखल इमारत मुतनाज़िया यानी बाबरी मस्जिद पर सदैव से चला आता है , लिहाजा प्रार्थना है कि सायलान को फरीक मुकदमा बजुमरे फरीक दोम गरदजा जावे और जो बयान तहरीरी मिनजानिब फरीक दोम मौलवी अनीसुरहमान साहब की जानिब से दाखिल अदालत है, वह हम सायलान तरफ से भी तसअउर किया जावे और सायलान को भी पैरवी मुकदमा की इजाज़त दी जावे ।

प्रार्थी,

(उर्दू इबारत)

सालार मुहम्मद वल्द बरसानी मु० सुतहटी व
मुहम्मद हाशिम उर्फ वफाती वल्द करीम बख़्श
मु० कुटिया शहर अयोध्या थाना

अयोध्या जिला फैजाबाद ता० 21-4-अप०

पेपर नं0-106

न्यायालय श्रीमान हाकिम इन्चार्ज सरिश्ता नकल फ़ैजाबाद

श्रीमान - सेवा में निवेदन है कि 9 जनवरी सन् 1951 ई0 को प्रार्थी ने एक दरखास्त नकल दिया जिसका नम्बर 2788 है, जो बमुश्किल तमाम 2-2-51ई0 को तैयार होकर 5-2-51 ई0को मिली, आज देखने पर मालूम हुआ कि नकल नवीस ने गलती से बजाय बयान तहरीरी के बयान हलफी की नकल दे दिया, लिहाजा जरिये दरखास्त हाजा मुस्तदई हूँ कि बयान तहरीरी मिनजानिब (मुसलमानान) की नकल दिला दी जावे- गलत नकल जो इजरा हो गई है- वह बिनावर मुलाहिजा मुन्सलिफ दरख् वास्त हाजा है और इस गलत नकल का फोलियो बयान तहरीरी मिनजानिब मुसलमानान में लगा दिया जावे ।

प्रार्थी,

पं0- श्री राम मिश्र, एडवोकेट

फ़ैजाबाद

सायल

ता0 9-4-51 ई0

ह0/ अपठनीय

Copy.

ह0/अपठनीय

पेपर नं0-107

बअदालत जनाब सिटी मजिस्ट्रेट साहब बहादुर फैजाबाद

रेक्स

मुस्तगीस

बनाम

1.अहले हिन्दू अयोध्या

फरीक अव्वल

2.मुसलमानान अयोध्या

फरीक दोयम

कार्रवाई हस्ब दफा 145 जाब्ता फौजदारी

बयान तहरीरी मिनजानिब फरीक दोयम

दफा-1. यह कि इमारत मुतनाजिया वाके मोहल्ला रामकोट शहर अयोध्या शहनशाह हिन्द बाबर शाह की तामीर करदा मस्जिद मौसूम बबाबरी मस्जिद है, जिसको शहनशाह मजकूर ने बाद फतेहयाबी हिन्दोस्तान दौरान कयाम अयोध्या सन 1528 ई0 में तैयार कराया और तामीर करके तमाम मुसलमानान के लिए वक्फ कर दिया, जिसमें आम मुसलमानान का हक इबादत है ।

दफा-2. यह कि बाद तामीर मस्जिद मजकूर शहनशाह बाबरने मस्जिद मजकूर की खिताबत व दीगर अखराजात के लिए एक रकम अतिया सालाना अपने खजाना शाही से मोकर्रर किया , जो दौरान सल्तनत मुगलिया मस्जिद मजकूर को बराबर मिलता रहा, और बाद जवाल सल्तनत मुगलिया नवाबीन अवध ने इस अतिया को कायम रखा, और नवाब आसफदौला बहादुर ने अपने जमाना हुकूमत में रकम अतिया मजकूर को इजाफा करके मुबलिग 302 रु0 3 आना 6 पाई सालाना अता करना मंजूर किया, जो रकम बाद इन्तजा सल्तनत अवध ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जारी रखा और जमाना बन्दोबस्त अव्वल में गवर्नमेंट बरतानिया ने मुत्त

वल्लियान को बजाय नकद अतिया मजकूर के मवाजियात शोलापुरी व बहोरनपुर मुत्तसिल अयोध्या बतौर माफी बिनावर मसारिफ मस्जिद बाबरी अता किया ।

दफा-3. यह कि आम मुसलमानान और फरीक दोयम का कब्जा बतौर वक्फ आम इमारत मुतनाजिया यानी मस्जिद बाबरी पर 1528 से आज तक मुसलसल चला आता है।

दफा-4. यह कि फरीक दोयम व आम मुसलमानान जायद अज 400 साल बइल्म व आगाही फरीक अव्वल व आम अहले हिन्दू इमारत मुतनाजिया में बतौर मस्जिद वक्फ आम बिला किसी रोक टोक के अपनी इबादत करते और नमाज पढ़ते चले आये हैं ।

दफा-5. यह कि फरीक अव्वल या आम अहले हिन्दू का कोई हक इमारत मुतनाजिया यानी मस्जिद बाबरी में न था और न है, और न उनका कब्जा कभी इस पर रहा है और न है ।

दफा-6. यह कि इमारत मुतनाजिया यानी मस्जिद बाबरी न कभी मंदिर जन्मभूमि थी और न है, और न कभी श्री रामचन्द्र जी का मंदिर रहा ।

धारा-7. यह कि फरीक दोयम व दीगर मुसलमानान ने इमारत मजकूर यानी मस्जिद बाबरी में 16 दिसम्बर सन 49 ई0 तक नमाज जुमा बजमात अदा की ।

धारा-8. यह कि कुछ शोरिस पसन्द अहेले हिन्दू ने, जिसमें कुछ मुकामी फरीक अव्वल भी शामिल थी, 12 नवम्बर सन् 1949 ई0 को इमारत मुतनाजिया यानी मस्जिद बाबरी के करीब शुमार हद्द मस्जिद से बाहर में जाप शुरु किया, जिसमें एक अम्बोह कसीर अहेले हिन्दू का जमा हुआ, जिसने कि कुछ कबरें औरे कनाती मस्जिद की बेहुरमती की, जब फरीक दोयम ने इसकी खबर हुक्काम जिला को दी, तो उन्होंने एक पुलिस गार्ड इस मुकाम पर तैनात कर दिया कि आइन्दा इस किस्म की

हरकत सरज़द न हो ।

धारा-9. यह कि 22 नवम्बर सन् 49 ई0 को जब यह मशहूर हुआ कि इमारत मुतनाजिया बाबरी मस्जिद पर कुछ शोरिश पसन्द मुफसिद हमला करना चाहते हैं, तो उसकी इत्तला हुक्काम जिला को दी गई, तो उन्होंने पुलिस गार्ड में इजाफा कर दिया और हर नमाज के बाद मस्जिद मजकूर में ताला लगाया जाने लगा ।

धारा-10. यह कि इमारत मुतनाजिया यानी बाबरी मस्जिद मजकूर इसके बाद से बराबर हमारे हकूक व कब्जा के तहफ्फुज की गरज से पुलिस गार्ड की हिफाजत में मोकफफल की गई, मगर 22 व 23 दिसम्बर सन् 49 की शब में कुछ मुफशिद और शरर पसन्द अहेले हिन्दू ने मस्जिद मजकूर में मदाखलत बेजा करे चोरी और बददयानती से एक मूर्ति श्री रामचन्द्र जी भगवान की उसके मेम्बर पर रख दी, जिसकी रिपोर्ट रामदेव दूबे सब-इन्सपेक्टर थाना अयोध्या ने चेकबुक दस्त अन्दाजी में दर्ज की और मुकदमा हस्ब दफा 147, 295 व 448 ता0हि0 खिलाफ अमैराय खास व 50, 60 दीगर अहेले हिन्दू कायम किया फरीक अव्वल की इस हरकत (अप0 इबारत) व फैल नाजायज मुजरिमाना व खिलाफ कानून से कोई हक उनको पैदा नहीं हो सकता ।

दफा-11. यह कि फरीक अव्वल के इस फैल मुजरिमाना व खिलाफ कानून के फौरन ही बाद हुक्काम जिला व मुकामी पुलिस ने फौरन मस्जिद मजकूर से फरीक अव्वल को निकाल दिया और दफा 144 जाब्ता फौजदारी का निफाज कर दिया ।

दफा-12. यह कि फरीक अव्वल के मुन्दर्जा बाला अफाल नाजायज व हरकात मुजरिमाना से हम फरीक दोयम को हमेशा फरीक अव्वल से नुकज अमर का अन्देशा है और मिनजानिब फरीक दोयम कोई अन्देशा नुगज अमन का नहीं है ।

धारा-13. यह कि इमारत मुतनाजिया यानी मस्जिद बाबरी जेर एहतमाम

सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ यू0पी0 है, इसलिए वह जरूरी फरीक मुकदमा है, लेहाजा बअदालत बयानतहरीरी फरीक दोयम मुस्तदई है कि उसका कब्जा बहक इबादत की कि उसको इमारत मुतनाजिया यानी बाबरी मस्जिद में हासिल था औरहै, बहाल रखा जाये और फरीक अव्वल को मुमानियत कर दी जाये कि वह फरीक दोयम के कब्जा और इबादत में मुखिल न हो और मस्जिद मजकूर में मदाखलत न करे और श्रीभगवान की मूर्ति जो रख दी गई है, उसको फौरन हटवा देवे और इमारत मुतनाजिया यानी मस्जिद बाबरी फरीक दोयम के हक में वागुजार फर्माई जावे ।

ता0 8-7-50ई0

29-12-50 ई0

उर्दू इबारात

प्रार्थी अनीसुरहमान सा0 मु0

बेगमपुरा शहर अयोध्या जिला फैजाबाद ।

The District Magistrate,
Faizabad.

**In the matter of case under Section 145 Cr.P.C. relating to
Ramjanambhumi and Babri Mosque.**

In the Court of the City Magistrate, Faizabad.

Sir,

I beg to submit for your kind consideration and favourable orders:-

- 1) That in December 1949 proceedings referred to above were started in the court of the City Magistrate, Faizabad.
- 2) That I filed a Civil suit for declaration and injunction in the court of the Civil Judge, Faizabad suit No. 2 of 1950.
- 3) That one Ram Chandra Paramhans also filed a similar suit in the same court no. 250 of 1950.
- 4) That on the application of Mohammadan defendants the two suits were consolidated.
- 5) That in the case under Section 145 Cr.P.C. certain Muslim residents of Ajudhya had filed their written statements with affidavits.
- 6) That certified copies of about 20 affidavits were taken from the case under Sec. 145 Cr.P.C. and were filed in the said civil suits.
- 7) That I have come to know in the case under Section 145 Cr.P.C. no dates are now being fixed.
- 8) That the said filed of the case under Sec. 145 Cr.P.C. will be required in the court of the Civil Judge, Faizabad but as the file is before the High Court at Allahabad the Civil Judge, Faizabad will not be in a position to summon it.

PRAYER

The applicant therefore prays that the entire rile of the case

under Section 145 Cr.P.C. referred to above be preserved (and not weeded out) until such time as it is not summoned by the Civil court, even though under the rules time may come or its weeding out.

Applicant.

Faizabad

The 22nd, July, 1954

State Vs. Janam Bhumi & Babri Mosque

Gopal Singh Visharad

under section 145 Cr.P.C.

ORDER

This is a case under Section 145 Cr.P.C. in which Shri Markandey Singh, Magistrate Ist class and Additional City Magistrate, Faizabad cum Ayodhya on 29th December, 1949 passed an order for attachment of the building claimed as Babri Mosque/Janam Bhumi Mandir and handed over possession of the same to Shri Priya Dat Ram, Chairman, Municipal Board, Faizabad cum Ayodhya as receiver for arranging for the care of the property in dispute. Shri Priya Dat Ram on January 5, 1950 assumed charge of the premises in dispute in Janam Bhumi Ayodhya.

An application for transfer of the case was moved in the high court of the judicature at Allahabad by Anisur Rahman s/o Molvi Waziruddin, but it was rejected on 30.5.50 by the Hon'ble High Court.

A Regular suit no. 2 of 1950 was filed in the civil court by Shri Gopal Singh Visharad against Zahoor Ahmad and others and the U.P. State, Deputy Commissioner, Faizabad, City Magistrate, Faizabad and Superintendent of Police, Faizabad are also parties to that suit. A temporary injunction as follows was issued on 3.3.51 by the learned civil judge, Faizabad.

“The parties are hereby restrained by the means of temporary injunction to refrain from removing the idols in question from the site in dispute and from interfering with puja etc. as at present carried on. The order dated 16.1.50 stands modified accordingly.”

This case under Section 145 has been lingering on unnecessarily and dates are being fixed in the hope that the civil suit might be disposed of or the temporary injunction vacated.

The disputed property i.e. Babri Mosque/Janam Bhumi

premises are already in possession of the receiver Sri Priya Dat Ram appointed by the Additional City Magistrate under his order dated 29th December, 1949 referred to above and the said receiver has been looking after the property since 5.1.1950, the date of assuming charge. As the finding of the civil court will be binding on the criminal court, it is no use starting proceedings in this case under Section 145 Cr.P.C. and recording evidence specially when a temporary injunction stands, as it cannot be said what may be finding of this Court after recording the evidence of the parties. From the administrative point of view the property is already under attachment and no breach of peace can occur.

I, therefore, order that the file under Section 145 Cr.P.C. be consigned to record as it is and will be taken out for proceeding further when the temporary injunction is vacated.

Sd/- Prem Shanker
City Magistrate, Ist class,
Faizabad.

30.7.53.

D.M.

Kindly see the headlines in “Virakt” about the case under section 145 Cr.P.C. about “Janam Bhumi”. The information has been very wrongly given in it.

The case under Section 145 Cr.P.C. had been pending for a long time and dates after dates were being given in it. Under my order dated 30.7.53 I consigned this file as it is to be taken out for proceeding further as soon as the temporary injunction issued from the civil court is vacated.

I submit this file under my order for perusal.

Sd/- Illegible

18.8.57

In the court of the city Magistrate, Faizabad.

In re:

Case under Section 145 Cr.P.C. relating to
Shri Ram Janam Bhumi Ayodhya Faizabad.

Sir,

In the above mentioned case the humble petition of Srivastava N.P. Sinha son of Srivastava Bindha Prasad, president of Pura Sherjang Qanungoyan Ayodhya district Faizabad respectfully showeth as under :-

1. That certain property relating to Shri Ram Janam Bhumi has been attached by this Hon'ble court under the said proceeding.
2. That the petitioner is the proprietor of Shri Ram Janam Bhumi and as his proprietorship is not disputed by any party is entitled to retain possession of the entire property of the temple such as Arti village Tahsil and district Faizabad, Muafi Ramkot and Pramod Ban &c and also the property which has been attached by this Hon'ble court under the above mentioned proceedings.
3. That the petitioner was a necessary party in the aforesaid proceeding but has not been impleaded and the entire proceeding have been taken behind his back and are void and illegal.

Wherefore it is prayed that in the circumstances in the case the property attached be ordered or recommended to be released in favour of the petitioner who along with his three sons Srivastava A.K. Sinha, Srivastava V.K. Sinha and Srivastava V.K. Sinha is entitled to remain in peaceful possession of the same so that justice be

पेपर नं०-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , फैजाबाद

संख्या- एस०टी०/सी-47/08 दिनांक अगस्त 01,2008

सेवा में,

श्री एच०एस० दूबे,
विशेषा कार्याधिकारी " रा०ज०भू० "
मा० उच्च न्यायालय,
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

कृपया आप अपने पत्र संख्या-3904 आर०जे०बी०-बी०एम०/2008 दिनांक-29-7-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कट करें, जो मु०अ०सं०-215/1949 धारा-147/295/448 भा०द०वि० थाना कोतवाली अयोध्या फैजाबाद की प्रगति/परिणाम के सम्बन्ध में है।

उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि थाना कोतवाली अयोध्या व रा०ज०भू० जनपद फैजाबाद के अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया गया और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से भी जानकारी की गई। प्रकरण काफी पुराना होने के नाते वाँछित आख्या के सम्बन्ध में काफी प्रयास करने पर जो तथ्य संकलित किये गये हैं, उसका विवरण निम्न है -

मु०अ०सं० -215/1949 धारा- 147/215/448 भा०द०वि० थाना कोतवाली अयोध्या फैजाबाद पर दिनांक 23-12-1949 को तत्कालीन थाना इंचार्ज उप निरीक्षक श्री रामदेव दूबे की रिपोर्ट पर विरुद्ध अभिराम दास, शिव दर्शन दास, राम सकल दास और 50-60 नफर अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ था। इस मुकदमे में विवेचनोपरान्त श्री अभिराम दास आदि 05 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 01-02-1950 को प्रेषित हुआ था, सुलभ सन्दर्भ हेतु ग्राम अपराध रजिस्टर नं०-8 मोहल्ला आलमगंज कटरा से प्राप्त उद्धरण सम्बन्धित मु०अ०सं०-215/1949 व आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

प्रकरण काफी पुराना होने के नाते फैजाबाद जनपद के विभिन्न न्यायालयों में पता लगाने के उपरान्त भी उस मुकदमा के विचारण के परिणाम के बारे में कि मुकदमा में क्या निर्णय हुआ, की जानकारी नहीं हो सकी। थाना अभिलेखों में भी मुकदमा के परिणाम (ट्रायल के पश्चात) सजा या रिहा हुए के सम्बन्ध में कुछ भी अंकित नहीं पाया गया।

आख्या कृपया अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप निरीक्षक/ना०पु० श्री डी०डी० मिश्रा कोतवाली अयोध्या जनपद फैजाबाद के माध्यम से भेजी जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

ह0/
वरिठ पुलिस अधीक्षक,
फैजाबाद।

प्रतिलिपि- वरिठ उ0नि0/ना0पु0 श्री वी0डी0 मिश्रा को इस निर्देश
के साथ कि मा0 उच्च न्यायालय जाकर नियमानुसार कार्यवाही कराये ।